खण्ड-456, अंक-10
बुधवार, 26 माघ, शक संवत् 1927
(15 फरवरी, 2006 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2005)

खण्ड 456 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
संत ज्ञानेश्वर की हत्या विषयक नियम-311 की सूचना को सुने जाने की मांग (जारी)	1
कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश के सम्बन्ध में सदन को सूचना ...	1
प्रश्नोत्तर	1-26
संत ज्ञानेश्वर की हत्या विषयक नियम-311 की सूचना को सुने जाने की मांग	26-27
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक वितरण के सम्बन्ध में सूचना ...	27
आज दी गई कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी ...	27-28
वर्तमान प्रश्नों के उत्तर मे तृतीय सत्र, 2005 लिखे होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	28
वित्तीय वर्ष 2006-2007 का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया) ...	28-50
व्यापारियों के हितार्थ बजट में किये गये संशोधन का विरोध ...	50-52
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	52-53
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	53-54
पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हेतु अपेक्षित धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	54
बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत देवा-फतेहपुर, सूरतगंज-बांदा बहराइच मार्ग का चौड़ीकरण कराने एवं कल्याणी नदी पर क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	55
जनपद कुशीनगर में कार्यरत भूमि संरक्षण अधिकारी (पडरौना) द्वारा किये जा रहे सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	55-56
रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जलालपुर घई से दाऊदपुर मड़ई होते हुए भगवन्तपुर चन्दनियां तक के अधूरे सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	56
मिर्जापुर के मझवां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों में खराब पड़े सिंचाई नलकूपों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	56

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद हमीरपुर में कार्यरत उर्दू अध्यापकों को शासनादेश के अनुरूप प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	56-57
जनपद लखनऊ में अनेक पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त होने के पश्चात् अभी तक सरकारी आवास खाली न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत मघई नदी में फिनीहिनी मार्ग पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	58
गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत सिम्भावली शुगर मिल के प्रदूषित पानी को गंगा नदी में डालने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58
अम्बेडकर नगर के ग्राम हुसैनपुर सुधाना (खट्टेगांव) मे पानी की निकासी हेतु महरीपुर टाण्डा रजवहा में साइफन लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58
शाहजहांपुर जनपद के लिये जिला योजना से वर्ष 2004-05 में सोलर लाइटों को लगाने हेतु स्वीकृत धनराशि पर्यटन निदेशालय द्वारा सीधे नेडा को भेजने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
बस्ती जनपद के ग्राम सिसई पण्डित को शहीद गांव घोषित करते हुए समस्त सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	59
वाराणसी नगर के अस्सी क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली पर भव्य स्मारक बनाये जाने एवं पर्यटक स्थल विकसित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59-60
नियम-311 की नियम-56 मे परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	60
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	60-61
गोरखपुर नगर से सम्बन्धित लम्बित कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	61-63
जनपद लखनऊ के थाना मड़ियांव स्थित तीन बी0डी0सी0 सदस्यों का अपहरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	64

विषय				पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजियाबाद एवं बागपत के मध्य हिंडन नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिसौदिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...		64-65
जनपद संत रविदास नगर भदोही के जिला मुख्यालय पर लगे शिलान्यास के पत्थर को हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	...	...	...	65
जनपद हरदोई की सण्डीला तहसील में वृक्षारोपण हेतु छोड़ी गई भूमि का अपात्र लोगों को पट्टा किये जाने के सम्बन्ध में श्री फागू चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	...			65-66
तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	...			66-67

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 15 फरवरी, 2006

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य-277

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक वाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद

कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्दमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देवती, श्री	कुशीनगर
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भारतेन्द सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र सिंह, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुल बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आफिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मो0 इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री	संत रविदास नगर, भदोही
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी

रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम मगन, श्री	बाराबंकी

रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	संत रविदास नगर भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सन्ध्या कटेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद

सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर	सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सुल्तान बेग, श्री	बरेली	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा		

नोट :- सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान) एवं औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संत ज्ञानेश्वर की हत्या विषयक नियम 311 की सूचना को सुने जाने की मांग

(श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य सहित प्रतिपक्ष के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं अभी संत की हत्या हुई है।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के सम्बन्ध में सदन को सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी एक सूचना देनी है। उत्तर प्रदेश की कार्य-मंत्रणा समिति ने आज दिनांक 15 फरवरी, 2006 की बैठक में संस्तुति की है कि आज दिनांक 15 फरवरी, 2006 को प्रश्न काल न हो तथा प्रश्न उत्तरित माने जायें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश मे मूल्य वर्धित कर (वैट) प्रणाली लागू करने पर कथित रूप में सहमति

**1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मूल्य वर्धित कर (वैट) समिति के अध्यक्ष की अगुवाई में 16 दिसम्बर, 05 को दिल्ली में हुई बैठक में अगले वर्ष एक अप्रैल, 2006 से संशोधित के साथ राज्य में "वैट" को लागू करने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहमति जतायी गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में घरेलू कुकिंग गैस की शट डाउन के कारण अस्थायी कमी

*1-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान में प्रदेश में घरेलू गैस की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसके निवारण हेतु कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (कुं0 रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया)-

जी नहीं। वर्तमान में प्रदेश में घरेलू कुकिंग गैस की कोई कमी नहीं है। माह अक्टूबर, 2005 से जाम नगर स्थित रिलायन्स रिफाइनरी का 45 दिन का शट-डाउन (रिफाइनरी की देख रेख हेतु अस्थायी रूप से कार्य में रूकावट) चल रहा था, जिसके कारण घरेलू कुकिंग गैस की मांग के अनुरूप उपलब्धता में 3.6 प्रतिशत की कमी आई थी।

नोट :-उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

घरेलू कुकिंग गैस की उपलब्धता में आई कमी के निवारण हेतु भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से घरेलू कुकिंग गैस का तत्समय आयात किया गया था तथा अन्य उत्पादकों से भी अतिरिक्त उत्पादन करने का अनुरोध किया गया है।

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की व्यवस्था

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिये क्या सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं (न कि व्यक्ति) जो स्वयं सहायता समूह की सदस्या हैं, के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 में रुपये 5.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गयी है। योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनुसूचित जाति के समस्त छात्र-छात्राओं को कक्षा-8 तक छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था

*3-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री दद्दू प्रसाद, श्री सुखदेव राजभर तथा श्री लालजी वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली अनिवार्य छात्रवृत्ति की नीति में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या प्रदेश में अनुसूचित जाति के समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-4158/26-3-95-4(215)/90, दि0 21-9-95 द्वारा कक्षा 1-8 तक के अनुसूचित जाति के समस्त छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति का वितरण किये जाने की व्यवस्था है।

जी हां।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश सरकार तथा क्रय एजेन्सियों द्वारा वर्ष 2005-06 में गेहूं की खरीद

*1-श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रबी फसल वर्ष 2005 में प्रदेश में गेहूं की कुल कितनी खरीद की गई ? क्या यह खरीद पिछले वर्षों की तुलना में कम थी ? यदि हां, तो क्यों ?

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया)-

रबी विपणन वर्ष 2005-2006 में प्रदेश सरकार तथा इसकी क्रय एजेन्सियों द्वारा प्रदेश में कुल 5,59,341 मी0टन गेहूं की खरीद की गयी है जिसमें से 40.570 मी0टन गेहूं की खरीद भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गयी है।

जी हां।

रबी खरीद वर्ष 2004-05 में निर्धारित कार्यकारी लक्ष्य 25 लाख मी0 टन के सापेक्ष कुल 17,40,533 मी0 टन गेंहूं की खरीद हुई थी जबकि रबी विपंणन वर्ष 2005-06 में कुल 3,59,341 मी0 टन गेहूं की खरीद हुई। रबी विपणन वर्ष 2004-05 में राज्य सरकार तथा नामित क्रय एजेन्सियों द्वारा 17,25,164 मी0 टन गेहूं की खरीद की गयी जबकि रबी विपणन वर्ष 2005-06 में कुल 5,18,771 मी0 टन गेहूं की खरीद हुई है जो पिछले वर्ष के सापेक्ष 69.93 प्रतिशत कम है।

प्रदेश में पिछले वर्ष में गेहूं का उत्पादन अनुमान से 25 से 35 प्रतिशत कम होने तथा बाजार भाव भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य रु0 640.00 प्रति कुन्तल के आस-पास अथवा अधिक होने के कारण कृषकों द्वारा सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूं बेचने में कम रुचि प्रदर्शित करना गेहूं खरीद कम होने का प्रमुख कारण रहा है।

प्रदेश में समस्त विकलांग जनों को रोजगार दिये जाने हेतु योजनाएं

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षित विकलांगों को रोजगार देने की सरकार की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या और उसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विकलांग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री श्याम नारायण)-

प्रदेश में समस्त विकलांगजन, जिनमें शिक्षित विकलांगजन भी सम्मिलित हैं, को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही है :-

(1) राजकीय सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए 03 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान भी किया गया है।

(2) विकलांगजन को स्वरोजगार हेतु ऋण दिलाने हेतु राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजना को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है।

(3) विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण संचालन योजना।

(4) विकलांगजन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु 07 कौशल विकास केन्द्र।

(5) प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों में विकलांगजन की पी0सी0ओ0 स्थापित करने के लिए निःशुल्क स्थान आवंटित करने की व्यवस्था की गयी है।

(6) स्वरोजगार हेतु प्रत्येक जनपद में विकलांग व्यक्तियों को वित्त पोषित करने हेतु प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा जनजाति वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम को निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को भारत सरकार के निर्देशन में क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही

*3-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रदेश में सुचारु रूप से काम नहीं कर रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को सुचारु रूप से भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार चलाने की पूर्व से ही कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में इन्सेफेलाइटिस से बचाव हेतु टीकाकरण की योजना

*4-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्सेफेलाइटिस से बचाव हेतु क्या सरकार द्वारा टीकाकरण कराने की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो टीकाकरण कब से प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

रोग संचरण अवधि (माह अगस्त से दिसम्बर) के बाद ही टीकाकरण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सी0पी0एम0टी0 की काउन्सिलिंग में हुई अनियमितता के विरुद्ध उच्च न्यायालय के अन्तरिम निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही

*5-डा0 अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री के आदेश कम्प्यूटर संख्या सी0एम0/वि0को0/ एम0 130135/2005, दिनांक 3-8-2005 व 130380/2005, दि0 5-08-05, जो कि सी0पी0एम0टी0-2005 की काउन्सिलिंग में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

सी0पी0एम0टी0-2005 की काउन्सिलिंग रिट याचिका संख्या-19135/1999 राजीव अग्रवाल बनाम उ0 प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम निर्णय के अनुरूप की गयी है। गत वर्षों में भी इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत काउन्सिलिंग हुई है तथा सी0पी0एम0टी0 काउन्सिलिंग-2005 की काउन्सिलिंग में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध एम्बुलेंस का निर्धारित किराया

*6-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध एम्बुलेंस का वर्तमान में प्रति कि0मी0 किराया सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

शानादेश संख्या-984/5-1-2000-4(80)/95, दिनांक 28-06-2000 के अनुसार रोगी वाहन का शुल्क रु0 5.00 प्रति कि0मी0 तथा न्यूनतम रु0 50.00 निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में एनिस्थीसिया शुल्क एवं महिलाओं से डिलिवरी शुल्क अलग से लिये जाने की शिकायत

*7-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में एनिस्थीसिया शुल्क एवं महिलाओं से डिलिवरी शुल्क अलग से लिया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना ? क्या सरकार इन दोनों शुल्कों को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में एनीस्थीसिया शुल्क नहीं लिया जा रहा है। शासनादेश संख्या-984/5-1-2000-4(80)/95, दिनांक 28-6-2000 के अनुसार जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में महिलाओं से डिलिवरी शुल्क लिया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिलाओं से कोई भी डिलिवरी शुल्क नहीं लिया जाता है।

जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में जनरल वार्ड हेतु डिलिवरी शुल्क रु0 200.00 पेइंग वार्ड हेतु रु0 300.00 तथा प्राइवेट वार्ड हेतु रु0 500.00 का दर निर्धारित है।

जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में सम्यक् विचारोपरान्त डिलिवरी शुल्क जनहित में न्यूनतम निर्धारित किया गया है। अतः इसे समाप्त करने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मस्तिष्क जवर के रोकथाम हेतु समस्त जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं

*8-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद मण्डल में पिछले तीन महीनों (जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2005) में मस्तिष्क ज्वर से कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? मस्तिष्क ज्वर रोकने सम्बन्धी सभी प्रकार की सुविधायें किन-किन अस्पतालों में उपलब्ध हैं ? सरकार ने इस घातक बीमारी की रोकथाम के लिये क्या प्रभावी कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

इलाहाबाद मण्डल में पिछले तीन महीनों (जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2005) में मस्तिष्क ज्वर से कोई मृत्यु नहीं हुई।

प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अतिरिक्त के0 जी0 एम0 यू0, लखनऊ तथा बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर मे चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं।

सरकार द्वारा इस घातक बीमारी की रोकथाम के लिये सभी निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाहियां की गयी हैं। इसके अन्तर्गत मस्तिष्क ज्वर से बचाव हेतु तैयार की गयी कार्य योजना के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा, वेक्टर नियंत्रण तथा रोगियों को तुरन्त चिकित्सालय में भर्ती कराने हेतु निःशुल्क वाहन व्यवस्था तथा सभी जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रोगियों के उपचार की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को आदर्श मेडिकल कालेज बनाये जाने की कथित घोषणा

*9-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 28 सितम्बर, 2005 को बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज को "आदर्श मेडिकल कालेज" बनाने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला चिकित्सालयों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती का विचाराधीन मामला

*10-डा0 पी0 के0 राय-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला चिकित्सालयों में पदों के अनुरूप विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर संविदा के आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी, हां। कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एड्स की रोकथाम एवं प्रचार-प्रसार हेतु भारत सरकार के निर्देशन में आवश्यक व्यवस्था

*11-श्री राम करन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एड्स की रोकथाम एवं प्रचार-प्रसार हेतु कौन-कौन सी संस्थायें कार्य कर रही हैं ? प्रचार-प्रसार हेतु कौन-कौन से तरीके अपनाये जा रहे हैं और विगत 5 वर्षों में प्रचार-प्रसार पर कितना धन खर्च हो चुका है ? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में एड्स की रोक-थाम हेतु नाको, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सोसाइटी द्वारा 21 संस्थाओं (एन0जी0ओ0) को उच्च जोखिम समूहों में कार्य करने हेतु चयनित किया गया है। यह कार्य उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं अन्य विभागों के माध्यम से कराया जाता है।

इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया एवं लोक कला दलों के माध्यम से एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। विगत 5 वर्षों में प्रचार-प्रसार पर कुल रु0 1085.07 लाख धनराशि व्यय हो चुकी है।

मा0 सदन के निर्देश होने पर विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मिर्जापुर के राष्ट्रीय मार्ग संख्या सात पर स्थित पेट्रोल/डीजल पम्पों पर मिलावट एवं घटतौली रोकने हेतु जांच की मांग

1-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या सात पर भरोंह में कंचन सर्विस स्टेशन तथा भैसोर में अग्रवाल सर्विस स्टेशन नैड़ी में स्थित पेट्रोल/डीजल पम्प द्वारा की जा रही मिलावट तथा घटतौली की जांच करने विषयक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मानवाधिकार फोरम के उपाध्यक्ष श्री शशि भूषण दूबे पथिक का प्रत्यावेदन दि0 27 मई, 05 अनुस्मारक दि0 18 जून, 05, दि0 27 जुलाई, 05 जिलाधिकारी, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह "राजा भैया"-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिगिनी के जीर्ण भवन के मरम्मत की मांग

2-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिगिनी का भवन जीण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिगिनी जीर्ण-शीर्ण नहीं है। परन्तु मरम्मत योग्य है। धनराशि उपलब्ध होने पर मरम्मत कार्य कराया जायेगा।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में कार्यरत आंगन बाड़ी कार्यकत्रियों के अनियमित नियुक्ति के निरस्तीकरण की मांग

3-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के सम्बन्ध में मा0 मंत्री का आदेश संख्या 1298/वी0आई0पी0/04, दिनांक 16-9-04 निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

जी हां।

प्रकरण में निदेशक, बाल विकास द्वारा जिला अधिकारी, प्रतापगढ़ से आख्या प्राप्त की गयी। जांच आख्या के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकत्री की नियुक्ति बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा बिना चयन प्रक्रिया के दिनांक 6-8-2004 को की गयी। अनियमित नियुक्ति होने के कारण जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दिनांक 9-8-2004 को निरस्त कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

4-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्धारित मानक के अनुसार ए0 एन0 एम0 एवं अन्य तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तैनात हैं ? यदि नहीं, तो मानक के अनुसार तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी स्थित सभी अस्पतालों के भवनों की चहार दीवारी, रंगाई-पुताई एवं मरम्मत करा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक करा दिये जायेंगे ?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

विधान सभा क्षेत्र, पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्धारित मानक के अनुसार ए0एन0एम0 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात हैं। तृतीय श्रेणी के कुछ पद स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त हैं, जिन पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर से कार्यवाही की जानी है।

जी हां। विधान सभा क्षेत्र, पट्टी स्थित सभी हस्तान्तरित अस्पतालों के भवनों की चहारदीवारी, रंगाई-पुताई एवं मरम्मत करा दी गयी है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानापुर के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति

5-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, प्रतापगढ़ द्वारा अपनी बैठक दिनांक 2-2-04 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानापुर का विस्तार कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने हेतु परिव्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? क्या यह सही है कि अपेक्षित भूमि की व्यवस्था से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़ ने निदेशालय को सूचित कर दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

दिनांक 25-01-06 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानापुर, प्रतापगढ़ के भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के पवई विकास खण्ड के ग्राम-हमीरपुर में महिलाओं एवं बच्चों को वितरित पुष्टाहार का विवरण

6-श्री राम कृपाल-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-आजमगढ़ में पवई ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम हमीरपुर में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-2005 में कितनी महिलाओं व बच्चों को पुष्टाहार वितरित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या महिलाओं व बच्चों को दिये जाने वाले पुष्टाहार के वितरण में हो रही अनियमितताओं की जांच सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद आजमगढ़ के पवई विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम-हमीरपुर में 02 आंगनबाड़ी केन्द्र हमीरपुर-1 वर्ष 2000 से तथा हमीरपुर-11 वर्ष 2003 से संचालित है, जिनके माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को वितरित पुष्टाहार का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष	पोषाहार प्राप्त करने वाली	
	महिलायें	बच्चे
2000	16	68
2001	16	68
2002	16	80

2003	32	160
2004	32	160
2005	32	160

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को शासन द्वारा मान्यता दिये जाने की मांग

7-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0 प्र0 शासन द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता दी गई है ? यदि हां, तो उक्त पद्धति के शिक्षण एवं चिकित्सकीय संस्थानों की मान्यता, पंजीकरण, विनियमितीकरण आदि के सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही शासन द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के लालगंज में निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को चालू कराने की मांग

8-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के लालगंज में निर्मित 25 बेड चिकित्सालय के भवन का लोकार्पण कराके चिकित्सालय को कब तक चालू करा दिया जायेगा ? क्या इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मानवाधिकार फोरम के उपाध्यक्ष श्री शशि भूषण दूबे, पथिक का प्रत्यावेदन दिनांक 27 जून, 2005, सी0 एम0 ओ0/महानिदेशक, स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत चिकित्सालय को कब तक चालू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज विगत छः माह से चालू है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम, आजमगढ़, गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल में कराये गये निर्माण कार्यों की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही

9-कुं0 रतनजीत प्रताप नारायण सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, समाज कल्याण निर्माण निगम, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती मण्डलों के पर्यवेक्षण में निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2003, 2004 तथा 2005 में कराये जा रहे निर्माण कार्यों की जिलास्तरीय टास्क फोर्स/टी0एस0सी0 तथा शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा अलग-अलग की गयी जांच में निर्माण कार्यों को घटिया एवं अधोमानक पाया गया है ? यदि हां, तो क्या अधोमानक के कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक का उत्तरदायित्व

निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय/दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती मण्डलों में वित्तीय वर्ष 2003, 2004 तथा 2005 में कराये गये निर्माण कार्यों में जिला स्तरीय कोई जांच संज्ञान में नहीं है। शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स के माध्यम से प्राप्त जांच रिपोर्ट में जनपद गोरखपुर में निर्मित मदन मोहन मालवीय इंजी0 कालेज के छात्रा छात्रावास में वार्ड रोब में प्रयुक्त किये गये शटर्स के निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप न होने एवं जनपद संत कबीर नगर में आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय रानीपुर तथा अनुसूचित जाति छात्रावास में प्लास्टर की गुणवत्ता ठीक न होने तथा ईंटों की जुड़ाई में स्पेसिंग पायी जाने सम्बन्धी कमियां बतायी गयी थी। जनपद संत कबीर नगर में आ0 प0 बालिका विद्यालय रानीपुर तथा अनुसूचित जाति छात्रावास की टी0ए0सी0 द्वारा जांच की गयी। जांच में सीमेन्ट प्लास्टर का कार्य अधोमानक का होने की पुष्टि हुई है। आजमगढ़ जनपद एवं बलिया में निर्माण कार्यों की प्रगति संतोषजनक न होने तथा सम्बन्धित अभियन्तागण के अपने मुख्यालय पर उपस्थित न रहने का मामला प्रकाश में आया है तथा लालगंज, आजमगढ़ में स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन निर्माण की आयुक्त आजमगढ़ मण्डल द्वारा टी0ए0सी0 से जांच करायी गयी है।

सम्बन्धित मण्डलों के क्षेत्रीय प्रबन्धकों के प्रति उत्तरदायित्व निर्धारण की कोई कार्यवाही संज्ञान में नहीं है। जिन कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी है अथवा की गयी है उसका विवरण निम्नवत् है :-

1-मदन मोहन मालवीय इंजी0 कालेज, गोरखपुर में निर्माणाधीन छात्रा छात्रावास के निर्माण कार्यों में अनियमितता हेतु उक्त कार्य पर तैनात श्री शैलेन्द्र कुमार निगम सहा0 अभियन्ता एवं श्री उमाशंकर मिश्र, अवर अभियन्ता, उ0प्र0स0क0नि0नि0 गोरखपुर को उ0प्र0स0क0नि0नि0 लखनऊ के कार्यालय आदेश दि0 14-3-2005 द्वारा भर्त्सनात्मक प्रविष्टि की गयी है तथा सम्बन्धित ठेकेदार की फर्म मेसर्स प्रेम इण्डस्ट्रीज, गोरखपुर को भी ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0स0क0नि0नि0 लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 14-3-2005 को दे दिये हैं।

2- संत कबीर नगर के आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय रानीपुर तथा अनुसूचित जाति छात्रावास के निर्माण में पायी गयी अनियमितता हेतु उक्त कार्य पर तैनात श्री सत्य प्रकाश सिंह, अवर अभियन्ता, उ0प्र0स0क0नि0नि0 लखनऊ के कार्यालय आदेश दि0 21 मार्च, 2005 द्वारा निलम्बित किया गया था तथा इसी प्रकरण में टी0ए0सी0 जांच में पायी गयी कमियों हेतु अन्य अधिकारियों के प्रति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3-श्री अविनाश चन्द्र भार्गव, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0स0क0नि0नि0 आजमगढ़ द्वारा अधीनस्थ जनपदों में निर्माणाधीन कार्यों में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में उ0प्र0स0क0नि0नि0 लखनऊ के कार्यालय आदेश दि0 1-11-2004 द्वारा श्री भार्गव को निलम्बित किया गया है। श्री बी0 एन0 उपाध्याय, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0स0क0नि0नि0 बलिया को उनके द्वारा जनपद बलिया में निर्माणाधीन कार्यों में की गयी अनियमितता एवं आश्रम पद्धति वि0 बस्तौरा की प्रगति धीमी होने के कारण उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लखनऊ के कार्यालय आदेश दि0 1-11-2004

द्वारा निलम्बित किया गया है। श्री अमर सिंह सहायक अभियन्ता (सिविल) समाज कल्याण निर्माण निगम, उ0 प्र0 आजमगढ़ को जनपद आजमगढ़ में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चेवार तथा आश्रम पद्धति विद्यालय मूसेपुर के निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितता हेतु उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ के पत्र दि0 1-11-2004 द्वारा श्री अमर सिंह को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है तथा जनपद आजमगढ़ के लालगंज में स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय की आयुक्त आजमगढ़ मण्डल द्वारा टी0ए0सी0 से करायी गयी जांच में प्राप्त अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लखनऊ को निदेशित कर दिया गया है।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डौरा में डाक्टरों एवं मरीजों को बैठने हेतु फर्नीचर की उपलब्धता

10-श्री राम कृपाल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डौरा, जनपद-आजमगढ़ में मरीजों व डाक्टरों के बैठने के लिये फर्नीचर उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और यह कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अतिरिक्त प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डौरा, जनपद आजमगढ़ में बैठने के लिये फर्नीचर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के लैब टेक्नीशिन, श्री भगवत चरण शर्मा (सेवानिवृत्त) को उनके देयों का भुगतान

11-श्री राम लाल अकेला-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ के पैथालॉजी विभाग से सीनियर लैब टेक्नीशियन के पद से सेवानिवृत्त श्री भगवत चरण शर्मा, जिनकी सेवानिवृत्ति के कुछ ही दिनों बाद मृत्यु भी हो गयी थी, की पत्नी श्रीमती मधु शर्मा को उनके पति की पेंशन का राशिकरण तथा अन्य देयों के भुगतान के सम्बन्ध में श्री देवकी नन्दन कोरी, स0वि0स0 का पत्र दिनांक 08-08-2005 (संलग्नक सहित) प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या श्रीमती शर्मा को राशिकरण एवं अन्य देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां। श्री शर्मा के अन्य देयों का भुगतान पहले ही किया जा चुका था, मात्र पेंशन के राशिकरण का भुगतान अवशेष था, जिसके भुगतान के आदेश दिनांक 24-11-2005 को कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद मोदीनगर तहसील में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रारम्भ चिकित्सा कार्य

12-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या उसके भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कब से चिकित्सा कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तों क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

पदों का सृजन कर चिकित्सा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निजी क्षेत्रों में संचालित एलोपैथिक मेडिकल कालेजों की संख्या एवं भर्ती मरीजों के उपचार का विवरण

13-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कौन-कौन से निजी एलोपैथिक मेडिकल कालेज चल रहे हैं ? इन मेडिकल कालेजों में अलग-अलग कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं ? सत्र 2004-05 तथा अक्टूबर, 2005 तक कुल कितने मरीज इन मेडिकल कालेजों में अलग-अलग देखे गये, भरती किये गये तथा कितने मरीजों का आपरेशन किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में निजी क्षेत्र में निम्नलिखित 04 एलोपैथिक मेडिकल कालेज संचालित हो रहे है।

1-एराज मेडिकल कालेज, लखनऊ।

2-सन्तोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद।

3-सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ।

4-श्री राममूर्ति स्मारक मेडिकल कालेज, बरेली।

क्र0सं0	मेडिकल कालेज का नाम	कुल छात्र	देखे गये मरीजों की संख्या	भरती किये गये मरीजों की संख्या	कुल किये गये आपरेशन की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	एराज मेडिकल कालेज, लखनऊ	600	310920	16128	10937

1	2	3	4	5	6
2	संतोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद	267	10507	10507	4749
3	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ	500	2,92,457	12,737	7,766
4	श्री राममूर्ति स्मारक मेडिकल कालेज, बरेली	100	3,04,306	27,237	7,248

जनपद-हरदोई में पी0एम0एस0 सम्वर्ग के चिकित्साधिकारियों द्वारा अपने मूल तैनाती पर कर रहे कार्य

14-श्री घूरा राम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई में पी0 एम0 एस0 संवर्ग के कितने चिकित्साधिकारी अपने मूल तैनाती स्थान पर कार्य न करके अन्यत्र सम्बद्ध हैं अथवा अतिरिक्त चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं ? क्या इन चिकित्सकों की सम्बद्धता या अतिरिक्त कार्य को समाप्त करते हुए मूल तैनाती स्थान पर भेजा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद-हरदोई में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग का कोई भी चिकित्साधिकारी अन्यत्र सम्बद्ध नहीं है। सभी अपने मूल तैनाती के स्थान पर कार्य कर रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

15-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति प्रतापगढ़ द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानापुर एवं ढ़िढुयी के भवन निर्माण की स्वीकृति

16-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, प्रतापगढ़ द्वारा अनुमोदित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानापुर एवं ढिढुयी के भवन निर्माण स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश निर्गत कर दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आदेश कब तक निर्गत कर दिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। दिनांक 25-01-06 को संबंधित शासनादेश निर्गत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुसार स्टाफ की नियुक्ति की मांग

17-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरीपुर, वरदैश, ढिढुवा, नरायनपुर, उतरास, ढखवा, पट्टी, कोहडौर, अमरगढ़, मानापुर, गुजाली, आसपुर देवसरा में मानकों के अनुरूप चिकित्सक एवं कर्मचारीगण कार्यरत हैं ? क्या निर्मित भवनों को विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-पट्टी एवं कोहडोर में मानक के अनुसार चिकित्सक तैनात हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-पट्टी में 01 डार्क रूम सहायक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-कोहडोर में 01 डार्क रूम सहायक एवं 01 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-अमरगढ़ में 1 अधीक्षक, फिजीशियन 1 एनेस्थैटिस्ट 1 चीफ फार्मासिस्ट 1 फार्मासिस्ट 1 एक्सरे टेक्नीशियन 3 स्टाफ नर्स एवं 1 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद रिक्त हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-ढिढई उतरास, ढखवा में मानक के अनुसार चिकित्सक एवं कर्मचारी तैनात हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-हरीपुर वरदेता, नरायनपुर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-मानापुर, मुजाही बाजार, आसपुर, देवसरा निर्माणधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम में सात वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत क्षेत्रीय प्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की मांग

18-कुं0 रतनजीत प्रताप नारायण सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम में कुल कितने क्षेत्रीय प्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता एक ही स्थान पर विगत सात वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या ऐसे अधिकारियों को अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 में 2 क्षेत्रीय प्रबन्धक एक ही स्थान पर विगत सात वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है। निगम में कोई भी अधीक्षण अभियन्ता विगत सात वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत नहीं है।

आगामी स्थानान्तरण सत्र 2006-07 में शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति के प्राविधानों अर्न्तगत अभियंताओं के स्थानान्तरण की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

जनपद बलिया के मनियर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मानक के अनुसार डाक्टरों की नियुक्ति की मांग

19-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनियर पर डाक्टरों की तैनाती न होने के कारण मरीजों का उपचार नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टरों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। जनपद बलिया के मनियर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं, बल्कि वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात एक चिकित्साधिकारी द्वारा मरीजों का उपचार किया जा रहा है।

उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वीकृत 02 पदों के सापेक्ष 01 चिकित्साधिकारी तैनात है। विभाग में चिकित्साधिकारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है। चयन के उपरान्त चिकित्सक उपलब्ध होने पर रिक्त पद पर तैनाती कर दी जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बालूपुर में स्वास्थ्य सेवा का संचालन

20-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के बालूपुर गांव सभा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकर तैयार है परन्तु निर्माण निगम द्वारा उक्त भवन का हस्तान्तरण अभी तक स्वास्थ्य विभाग को नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2005 में स्वास्थ्य विभाग को उक्त भवन का हस्तान्तरण कराकर स्वास्थ्य सेवा का संचालन प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

बलिया जनपद के बालूपुर गांव सभा में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बना है, न कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उक्त भवन दिनांक 17-2-03 से चिकित्सा विभाग को हस्तगत है।

दिनांक 17-02-03 से चिकित्सा विभाग को हस्तगत उक्त भवन में स्वास्थ्य सेवा का संचालन हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में संशोधन किये जाने की मांग

21-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या निदेशक (महिला), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0 प्र0 का पत्र सं0-18फ/37-म-2003/978, दिनांक 20-2-2004, जो प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची दिनांक 5-6-2003 में संशोधन किये जाने विषयक है, सचिव, उ0 प्र0 शासन, चिकित्सा (11) अनुभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर कार्यवाही पूरी कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के कारण क्या हैं ? क्या विलम्ब

के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त संशोधन की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उपलब्ध अभिलेखों में प्रश्नगत पत्र की प्राप्ति दर्ज नहीं है। स्वास्थ्य महानिदेशालय से उक्त पत्र की प्रति प्राप्त कर ली गयी है।

पूर्व विभाग में की गयी सेवा को वरिष्ठता निर्धारण के प्रयोजन हेतु नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय में कार्यरत स्व0 श्री बेचू लाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति एवं देयों के भुगतान की मांग

22-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बेचूलाल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत थे ? क्या श्री बेचूलाल की सेवाकाल में दिनांक 24-2-05 को निधन हो गया था ? क्या उनके अवशेष देयों के भुगतान तथा उनके पुत्र को मृतक आश्रित के रूप में कनिष्ठ लिपिक के रूप में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती निर्मला गुप्ता, पत्नी स्व0 श्री बेचूलाल का पत्र दिनांक 6-9-05 स्वास्थ्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

स्व0 श्री बेचूलाल के अवशेष देयों का भुगतान उनकी पत्नी को किया जा चुका है उवं उनके पुत्र को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में इन्सेफ्लाइटिस के भर्ती मरीजों की संख्या एवं मृत्यु तथा विकलांगता एवं कुल व्यय का विवरण

23-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005-06 में अब तक बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में इन्सेफ्लाइटिस के कुल कितने मरीज आये, कितने मरीजों की मृत्यु हुई तथा कितने मरीज विकलांग हुये उनकी विकलांगता का विवरण क्या है ? इन मरीजों के इलाज में अलग-अलग मदों में कुल कितना धन व्यय हुआ ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में कुल 3,447 मरीज आये, 899 मरीजों की मृत्यु हुई तथा 321 मरीज विकलांग हुये। विकलांगता का आंकलन 06 माह बाद ही किया जाना सम्भव होता है। अतः इस समय विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

मरीजों के उपचार पर कुल रु0 30,13,256/. की धनराशि व्यय हुयी जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है :-

(1) औषधि-	13,76,666.00
(2) आक्सीजन-	7,11,902.00
(3) सर्जिकल आइटम-	7,07,248.00
(4) दूध-	2,17,440.00

जनपद कुशीनगर तीन सामुदायिक केन्द्रों (तमकुहीराज) पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

24-डा0 पी0 के0 राय-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तमकुहीराज, तहसील एवं जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के अनुरूप विशेषज्ञ चिकित्सकों को तैनात कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

शेष रिक्त पदों पर चिकित्सकों के चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है।

जनपद कुशीनगर में विकलांगों को पेंशन स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या एवं अवशेष का विवरण

25-डा0 पी0 के0 राय-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कुशीनगर में विकलांगों के 31 मार्च, 2005 तक पेंशन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? उनमें से कितनों को पेंशन स्वीकृत हुई एवं कितने शेष हैं ? शेष को कब तक पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम नारायण-

जनपद कुशीनगर में 31 मार्च, 2005 तक नवीन पेंशन के लिये कुल 1698 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

प्राप्त अवेदन पत्रों में से 66 विकलांग व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति की जा चुकी है एवं 1632 शेष हैं।

प्रदेश के सीमित संसाधनों से सम्प्रति समस्त पात्र विकलांग व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं हैं।

जनपद हरदोई में क्षयरोग अधिकारी द्वारा रोगियों के उपयोगार्थ खरीदी गयी दवाओं का विवरण

26-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षय रोग अधिकारी हरदोई द्वारा विगत तीन वर्षों में टी0 बी0 रोगियों के उपयोगार्थ कौन-कौन से उपकरण तथा दवायें क्रय की गयीं ? क्या यह सही है कि

क्षय रोग अधिकारी द्वारा उपकरण तथा अन्य आवश्यक अनुपस्थित कोई की खरीदने के कारण मरीजों को उसका उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्ष 2002-03 में क्रय किये गये उपकरण व दवाओं की सूची :--

अ-उपकरण-पैथालोजिकल वाइनाकुलर माइक्रोस्कोप आई0एस0आई0 मार्क

ब-दवायें-

1-कैप0 रिफाम्पसिन 450 एम0जी0

2-टैव0 रिफालिन आई0

3-रिफा0-4 किट

4-टैव0 इथामबुटाल 800 एम0जी0

5-टैव0 इथामबुटाल 400 एम0जी0

6-टैव0 आई0एन0एच0 300 एम0जी0

7-टैव0 पाइराजिनामाइड 750 एम0जी0

8-कैप0 एमाक्सीसिलीन 250 एम0जी0

9-इं0 स्ट्रेप्टोमाइसिन 0.75 ग्राम

वर्ष 2003-04 में क्रय किये गये उपकरण व दवाओं की सूची :--

अ-उपकरण-शून्य

ब-दवायें-

1-कैप0 रिफाम्पसिन 450 एम0जी0

2-टैब0 आई0एन0एच0 विद बी-6 100 एम0जी0

3-टैब0 मेट्रोनिडाजाल 400 एम0 जी0

4-टैब0 एमोक्सीसाइक्लिन 500 एम0जी0

5-कैप0 एम्पीसीलीन 500 एम0जी0

6-कैप0 डाक्सीसाइक्लीन 400 एम0जी0

7-टैब0 सालबुटामाल

8-कैप0 आफलाक्सिन 400 एम0जी0

वर्ष 2004-05 में क्रय किये गये उपकरण व दवाओं की सूची :--

अ-उपकरण-

1-वाटरवाथ

2-फिजिकल बैलेन्स

3-टाइमर अलार्म

ब-दवायें-

1-टैब0 आई0एन0एच0 300 एम0जी0

2-टैब0 आई0एन0एच0 100 एम0जी0

3-टैब0 पाइराजिनामाइड 500 एम0जी0

4-कैप0 रिफाम्पसिन 300 एम0जी0

5-टैब0 इथामबुटाल 400 एम0जी0

जी नहीं।

सभी उपकरण व दवायें उच्च गुणवत्ता की क्रय की गयी। रोगियों को इनका पूरा लाभ मिला है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वाहन हायरिंग एवं भत्तों पर हुए व्यय के विवरण की मांग

27-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला में क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत एक चिकित्साधिकारी टी0बी0 को नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त चिकित्साधिकारी को विगत तीन वर्षों में वर्षवार वाहन एवं अन्य भत्तों के मद में धनराशि भुगतान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

पुनरीक्षित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम जनपद-हरदोई में दिनांक 30-10-2004 से लागू है। उक्त कार्यक्रम हेतु वाहन हायरिंग मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष चिकित्साधिकारी द्वारा वाहन एवं अन्य भत्तों के मद में भुगतान हेतु अभी तक कोई बीजक नहीं प्रस्तुत किया गया है। नियमानुसार बीजक प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के जमुआवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का कथित-पत्र

28-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का पत्र दि0 24-1-2003 व 07-2-2003 जो ग्राम सभा जमुआवा जनपद आजमगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में था, सचिव, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश व निदेशक स्वास्थ्य सेवायें उ0 प्र0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ग्राम सभा जमुआवा द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए जमीन उपलब्ध कराने हेतु सहमति दी गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार योजना अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालय खोलने की मांग

29-डा0 सुशील चौधरी तथा श्री अनिल कुमार मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में विकास नगर तथा जानकीपुरम् विस्तार योजना के अन्तर्गत सरकारी चिकित्सालय न होने के कारण वहां की गरीब जनता को उपचार हेतु काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर एक 100 शैय्या का राजकीय चिकित्सालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। इन क्षेत्रों की जनता को उपचार की पर्याप्त सुविधा बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह-अलीगंज, इन्दिरा नगर, भाउराव देवरस चिकित्सालय-महानगर तथा बलरामपुर चिकित्सालय में उपलब्ध है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बासगांव, गोरखपुर में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

30-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांसगांव, जनपद-गोरखपुर में चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? चिकित्सकों के रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-बांसगांव जनपद-गोरखपुर में चिकित्सकों के कुल 07 पद स्वीकृत हैं तथा 02 पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्यारह राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों पर स्टाफ के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

31-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कार्यरत ग्यारह राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में मानक के अनुसार डाक्टर तथा

अन्य स्टाफ भवन एवं दवाओं की व्यवस्था उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो उक्त व्यवस्था कब तक करा दी जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये ग्यारह राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्वीकृत हैं। उक्त ग्यारह चिकित्सालयों में से तीन चिकित्सालयों की स्वीकृति पद विहीन है और इन चिकित्सालयों का संचालन अन्य आठ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में तैनात चिकित्सकों तथा अन्य कर्मियों के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त आठ चिकित्सालयों के लिये मानकानुसार सृजित पदों के सापेक्ष भरे पदों एवं रिकत पदों की सूचना निम्नवत् है :--

संवर्ग	सृजित पद	भरे पद	रिक्त पद
चिकित्साधिकारी	9	4	5
चीफफार्मेसिस्ट	1	1	x
फार्मेसिस्ट	8	8+2सम्बद्ध =कुल 10	x
सिस्टर	1	1	x
स्टाफ नर्स	2	1	1
चतुर्थ श्रेणी	20	18	2
कुल पद	41	33	8

उक्त ग्यारह चिकित्सालयों मे से छः चिकित्सालय दान के भवन में तथा पांच चिकित्सालय किराये के भवन में स्थापित है और मानकानुसार उक्त समस्त चिकित्सालयों में औषधियों की आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण को प्राप्त प्रस्तावों की संख्या एवं उनकी ग्राह्यता का विवरण

32-श्रीमती राजरानी रावत-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु शासन की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 30 नवम्बर, 2005 तक कितने प्रोजेक्ट स्वयं सेवी संस्थाओं के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/निदेशालय में लम्बित थे ? क्या उदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, अलीगंज, लखनऊ (एन0जी0ओ0) का क्राफ्ट प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रोजेक्ट भी तीन वर्ष से विभाग में लम्बित है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? उक्त प्रोजेक्ट को स्वीकृत हेतु शासन को कब तक भेजा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री महबूब अली)-

वित्तीय वर्ष 2005-06 में (दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से दिनांक 30-11-2005 की अवधि में) निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण को जिलों से कुल 14 प्रस्ताव प्राप्त हुये थे, जिसमें से केवल 03 प्रस्ताव की ग्राह्यता की स्थिति में शासन को भेजे गये। शेष में निदेशालय द्वारा जिलों से आपत्तियों का निराकरण कराया जा रहा है। शासन से निदेशालय को आपत्तियों के निराकरणार्थ इस अवधि में

97 प्रस्ताव वापस किये गये, जिनमें 02 नये प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार इन 97 मामलों में आपत्तियों का निराकरण कराया जा रहा है। 03 प्रस्तावों में से अवशेष 01 प्रस्ताव परीक्षणोपरान्त आपत्तियों के निराकरणार्थ निदेशालय को 30-11-2005 के उपरान्त वापस किया गया।

प्रश्न में इंगित संस्था का प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ के पत्र दिनांक 12-3-2003 के माध्यम से निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ था जिसमें कमियों के निराकरणार्थ पर्याप्त पत्राचार के उपरान्त भी संबंधित संस्था द्वारा समुचित सूचना/उत्तर विभाग को प्राप्त नहीं कराया गया है।

संस्था द्वारा वांछित कमियों का निराकरण कर दिये जाने की स्थिति में ही आगे की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वीकृत ट्रामा सेन्टरों की संख्या एवं उनके निर्माण की प्रगति

33-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने ट्रामा सेन्टर हैं जो स्वीकृत होने के बाद अभी तक नहीं बन पाये हैं ? क्या शाहजहांपुर जनपद में ट्रामा सेन्टर स्वीकृत है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

02

जी हां।

जनवरी, 2006 में।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के परिपत्र के अनुपालन में उत्तरांचल से उ0 प्र0 में स्थानान्तरित महिला चिकित्साधिकारियों की संख्या

34-श्री कौशल किशोर-

क्या आयुर्वेद एवं होम्योपैथी मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के परिपत्र संख्या 14/279/2002-एस0 आर0 (एस0), दिनांक 15 सितम्बर, 2004 के अनुपालन में उत्तरांचल से कितनी महिला चिकित्सा अधिकारियों का स्थानान्तरण उ0 प्र0 में किया गया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के परिपत्र संख्या-14/279/2002-एस0 आर0 (एस0), दिनांक 15 सितम्बर, 2002 के अनुपालन में उत्तरांचल राज्य से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत 6 महिला चिकित्साधिकारियों तथा आयुर्वेदिक विभाग में एक महिला चिकित्साधिकारी को उ0 प्र0 राज्य में स्थानान्तरित किया गया है।

श्री शिव कुमार मिश्र जिला प्रोवेशन अधिकारी कानपुर के विरुद्ध दर्ज मुकदमों का न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

35-श्री राम करन आर्य-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव कुमार मिश्र, जिला प्रोबेशन अधिकारी, कानपुर नगर जो वर्ष 2000 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वाराणसी के पद पर तैनात थे, के विरुद्ध मु0 अ0 सं0 34/2000 धारा 3/4/6/8/9/15 धारा 76/354/120 बी0 आई0 पी0 सी0 थाना शिवपुर, बनारस व मु0 अ0 सं0 168 धारा आर्म्स ऐक्ट थाना जैतपुरा, बनारस, अपराध सं0-565/2000 कैन्ट थाना बनारस, अप0 सं0 455/2000 थाना कैन्ट में दर्ज हुए हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीराजेन्द्र सिंह राना)-

श्री मिश्र के विरुद्ध निम्न मुकदमें जनपद वाराणसी में दर्ज हुये हैं :-

1-मु0 अ0 सं0-84/2000 आई0टी0पी0 की धारा-3/4/6/8/9/15 व भा0 द0 वि0 की धारा-376/354/120 थाना शिवपुर, बनारस ।

2-मु0अ0स0-168 धारा-आर्मस ऐक्ट थाना जैतपुरा, बनारस

3-अ0स0-265/2000 कैण्ट थाना बनारस

4- अप0 स0-455/2000 कैण्ट थाना बनारस

मु0 अ0 संख्या 84/2000 अनैतिक देह व्यापार की धारा 3/4/5/6/8/9/15 व भा0 द0 वि0 की धारा 376/354/120 थाना शिवपुर वाराणसी, अ0 स0 265/2000, अ0 स0 289/2000, अ0 सं0 455/2000 व अ0 सं0 168/2000 के संबंध में थाना कैण्ट वाराणसी के पत्र दिनांक 4-12-05 की सूचनानुसार अद्यतन स्थिति निम्न है :-

मु0 अ0 सं0 455/2000 धारा 395 आई0 पी0 सी0 बनाम श्री एस0 के0 मिश्र एवं सात अन्य के मा0 न्यायालय ए0 डी0 जे0 4 के यहां से एस0 टी0 नं0 130 पर दिनांक 25-7-05 को दोषमुक्त हुये हैं।

मु0 अ0 सं0 265/2000 धारा 292 आई0 पी0 सी0 विरुद्ध एस0 के0 मिश्रा में मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी के यहां से दिनांक 9-3-2004 को सु0 न0 9479/2000 में उन्मोचित किया गया है।

प्रकरण विशेष में सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट दिनांक 12-8-03 को मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-चतुर्थ, वाराणसी के यहां प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रकरण मा0 न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय बहराइच में नियुक्त डा0 रफीक अहमद रेडियोलोजिस्ट के विरुद्ध लोकायुक्त की संस्तुति पर दण्डात्मक कार्यवाही

36-श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2003 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को जिला चिकित्सालय, बहराइच में नियुक्त डा0 रफीक अहमद रेडियोलोजिस्ट को प्राइवेट प्रैक्टिस करने व बाह्य कारणों एवं विधि विरुद्ध तरीके से मरीज के सम्बन्ध में दो भिन्न-भिन्न डाक्टरी राय दर्ज करने के दोषी पाये जाने पर तीन माह के अन्दर कार्यवाही के लिये संस्तुति की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

लोकायुक्त उ0 प्र0 की संस्तुति के क्रम में डा0 रफीक अहमद के विरुद्ध शासन द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में डा0 रफीक अहमद को दोषी पाये जाने पर शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2005 द्वारा वृहद दण्ड से दण्डित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम के अन्तर्गत भेजी गई रिपोर्ट का विवरण

37-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1989 में अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि सभी राज्यों द्वारा प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों पर रिपोर्ट देना अनिवार्य है ? यदि हां, तो प्रदेश सरकार द्वारा अब तक किन-किन वर्षों की रिपोर्ट भेजी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

कैलेण्डर वर्ष 2004 तक की रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। कैलेण्डर वर्ष 2005 की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में बाल विकास विभाग के अन्तर्गत मेसर्स एस0 एस0 ट्रेडिंग कम्पनी चन्दौसी मुरादाबाद द्वारा की गयी सप्लाई का विवरण

38-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री को जानकारी है कि मेसर्स एस0 एस0 ट्रेडर्स चन्दौसी, मुरादाबाद नामक फर्म ने वर्ष 2003-2004 में जनपद-लखनऊ में बाल विकास विभाग अन्तर्गत जिला

कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति के क्रम में पेस्टल कलर, स्टैम्प पेड, पेन्सिल व तौलिया की आपूर्ति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या फर्म का व्यापार-कर में रजिस्ट्रेशन उपरोक्त वस्तुओं को सप्लाई करने के लिये था ? यदि हां, तो क्या फर्म में उपरोक्त चारों वस्तुओं का टैक्स (व्यापार कर) नियमानुसार अदा कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

मेसर्स एस0 एस0 ट्रेडर्स नहीं, बल्कि मेसर्स एस0 एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, चन्दौसी, मुरादाबाद द्वारा आपूर्ति की गयी थी।

असिस्टेंट कमिश्नर व्यापार कर, खण्ड-1 चन्दौसी के पत्र संख्या-1259/असि0 कमि0 व्या0 कर, चन्द-1, दिनांक 10-02-2006 द्वारा अवगत कराया गया है कि सर्वश्री एस0 एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, सुभाष रोड, चन्दौसी इस खण्ड में दिनांक 15-6-94 से पंजीकृत फर्म रही है। व्यापारी को पंजीयन चाय, साबुन, कन्फेक्सनरी, टायलेट गुड्स, सर्फ, खाद्य पदार्थ का रहा है। व्यापारी द्वारा दिनांक 20-1-2006 से फर्म बंद करना घोषित किया गया है। वर्ष 2003-04 में व्यापारी पंजीकृत तो रहा है, लेकिन पेस्टल कलर, स्टैम्प पैड, पेन्सिल व तौलिया की आपूर्ति के संबंध में व्यापारी पंजीकृत नहीं रहा है। पंजीयन प्रार्थना पत्र में घोषित वस्तुओं में उक्त वस्तुएं नहीं हैं।

असिस्टेंट कमिश्नर व्यापार कर, खण्ड-1 चन्दौसी ने अपने उपर्युक्त पत्र दिनांक 10-2-2006 द्वारा अवगत कराया है कि व्यापारी का कर निर्धारण आदेश वर्ष 2003-04 का समरी योजना के अन्तर्गत पारित किया जा चुका है। व्यापारी पर कोई कर नहीं लगाया गया है। जहां तक जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखनऊ को वर्ष 2003-2004 में आपूर्ति किये गये पेस्टल कलर, स्टैम्पपैड, पेन्सिल व तौलिया से संबंधित व्यापार कर अदा करने का प्रश्न है, व्यापारी द्वारा इससे संबंधित कोई सूचना उनके कार्यालय को प्राप्त नहीं करायी गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

सन्त ज्ञानेश्वर की हत्या विषयक नियम 311 की सूचना को सुने जाने की मांग (क्रमागत)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, नियम-56 के अन्तर्गत सूचना दी है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैंने नियम 311 के अन्तर्गत सूचना दी है। जिसमें यह कहा है कि इस प्रदेश में जो प्रतिबंधित हथियार हैं जो उनका उपयोग हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें नियम 311 में आग्रह किया था और वह बसपा की तरफ से भी आया है। यह कल प्रश्न प्रहर के बाद आपको सुना जाएगा। इसको अभी स्थगित करते हैं। इस विषय पर कल प्रश्नकाल के बाद नियम-56 के अन्तर्गत सुना जाएगा। आज चूंकि बजट है इसलिये 11.25 तक सदन स्थगित करता हूं, 12.30 पर हम बैठेंगे।

(11 बजकर 03 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने बजट के प्रस्तुतीकरण हेतु सदन की कार्यवाही 11 बजकर 25 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 11 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक वितरण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

आपको आय-व्ययक वितरण के सम्बन्ध में एक सूचना देनी है। अब कुछ क्षणों बाद वित्तीय वर्ष 2006-07 का आय-व्ययक प्रस्तुत होगा। माननीय सदस्यों को वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने हेतु की गई व्यवस्था इस प्रकार है :-

"हां" सभाकक्ष में समस्त महिला सदस्य तथा बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, पडरौना, देवरिया, मऊ, चित्रकूट, आजमगढ़ के समस्त सदस्यगण,

और

"नहीं" सभाकक्ष में नाम-निर्देशित सदस्य तथा शेष अन्य जिलों के समस्त माननीय सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें।

आज दी गई कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो हमने आज सूचनायें दी हैं उसका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष-

आज कोई सूचनायें नहीं ली जायेंगी, कल देंगे तो उस पर विचार होगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, कल दोबारा देनी पड़ेगी ?

श्री अध्यक्ष-

जो आज आ गयी है उसको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री जगदम्बिका पाल-

लेकिन मान्यवर, आज बजट प्रस्तुत होने के बाद कल परसों सदन नहीं होगा। 20 तारीख के बाद ग्रान्ट चलेगी, तो क्या कल सदन चलेगा कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

अभी कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश टाईप हो रही हैं, जब टाईप होकर आ जायेंगी तब सब पता चलेगा। पाल साहब अध्यक्ष केवल नियमों को देखता है और कार्य मंत्रणा समिति अपने

बिजनेस को तय करती है। वह जो तय करेगी उसको विधान सभा में बैठकर संचालित करायें यह काम अध्यक्ष का होता है। कब सदन चलेगा, कब बन्द होगा यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, सरकार और नेता प्रतिपक्ष तय करते हैं।

वर्तमान प्रश्नों के उत्तर में तृतीय सत्र 2005 लिखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, हम लोग 2006 में बैठे हैं। जो प्रश्नों के उत्तर हमको मिले हैं उसमें लिखा है कि विधान सभा के तृतीय सत्र, 2005, तो इसमें हमारा औचित्य का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष-

यह 2005 का ही सत्र है जो कान्टीन्यूएशन में चल रहा है। 2006 का कोई नया सत्र नहीं है। आप रुक जायें। मैं इस पर कल सुनूंगा। अब हम मद संख्या-3 ले रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2006-2007 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं ...

मान्यवर, इस सम्मानित सदन में वर्ष 2003-04 का बजट प्रस्तुत करते समय मेरे द्वारा हमारी सरकार को उत्तराधिकार में प्राप्त जर्जर आर्थिक व वित्तीय स्थिति का उल्लेख किया गया था। हमारी सरकार को खाली खजाने के साथ लुंजपुंज प्रशासनिक ढांचा, गैर अनुशासित वित्तीय खर्चे, फिजूल खर्ची पर टिकी जर्जर व्यवस्था में वित्तीय प्रशासन प्राप्त हुआ था। हमारी सरकार की यह मान्यता थी कि देश के सर्वाधिक आबादी वाले इस प्रदेश की आर्थिक तरक्की के बिना भारत निर्माण का नारा खोखला है और अतार्किक है। इसलिये हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम एवं आर्दश प्रदेश में बदलने का संकल्प लिया। यह बजट प्रस्तुत करते हुये मुझे गौरवानुभूति हो रही है कि हम अपने संकल्प को पूरा करने में सफल हुये। नियोजन विभाग द्वारा प्रकाशित योजना साहित्य के अनुसार वर्ष 2002-03 में हमारे राज्य की आर्थिक विकास दर मात्र 0.1 प्रतिशत थी। हमारी सरकार के अथक प्रयास के परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 की समाप्ति तक यह दर 6 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है। मुझे गर्व है कि आज अपनी सरकार की ओर से लगातार तीसरी बार निर्धारित समय के भीतर वार्षिक बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश के वित्तीय इतिहास में लम्बे अन्तराल के बाद ऐसा समय आया है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले ही अगले वर्ष का बजट प्रस्तुत कर दिया जाय। इससे वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में सुविधा होगी।

वित्तीय अनुशासन से वित्तीय क्षेत्र में सार्थक परिणाम सामने आये हैं। लगभग 20 वर्षों के बाद वर्ष 2006-07 के बजट अनुमानों के अनुसार हमारा प्रदेश राजस्व घाटे की दुर्गम घाटी को पार कर राजस्व बचत के युग में प्रवेश करेगा। हमने भारत सरकार को आश्वासन दिया था कि वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटे को समाप्त करेंगे। किन्तु इस माननीय सदन के सहयोग, सभी सरकारी अमले के स्नेहपूर्ण प्रयास व सरकार के दृढ़ संकल्प के कारण हम दो वर्ष पूर्व ही ऐसा करने में सफल

रहे। हम प्रदेश की जनता को बार-बार कहते थे कि हमारी सरकार अपने काम से बोलेगी। हमारे बोल को जनता ने सुना और हमे हमारे प्रदेश निर्माण के कार्य में भरपूर स्नेह और आशीर्वाद दिया। अब से पहले हमारे प्रदेश की पहचान केन्द्रीय सत्ता से अनुदान व सहायता लेकर उसे उपभोग करने वाले राज्य की थी। किन्तु हमारी सरकार के निरन्तर प्रयासों से अनुदान भक्षी कलंक को मिटाकर जनसेवी विकासोन्मुख राज्य के रूप में अपनी पहचान बना ली। हमारी इस पहचान से प्रभावित होकर ही भारत के योजना आयोग ने हमारी मांग के अनुसार वार्षिक योजना की स्वीकृति दी। प्रशासनिक व्यय में कमी, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण, विकास की धनराशि में वृद्धि, आधारभूत सुविधाओं में विशाल निवेश से विगत लगभग तीन वर्षों में प्रदेश की सूरत में बदलाव की रफ्तार तेज हो गयी। हमारी सरकार के कामकाजी स्वरूप से ही निजी क्षेत्र के पूंजी निवेश में भी वृद्धि हुई। किसी प्रदेश के इतिहास में दो वर्षों का समय बहुत अल्प होता है फिर भी हमारे अथक प्रयास से निर्मित वातावरण के चलते बुनियादी क्षेत्र में निजी क्षेत्र ने निवेश प्रारम्भ कर दिया है। हमारी पूरी आशा है कि इसी तरह का वित्तीय अनुशासन बनाये रख कर हम विदेशी पूंजी को भी आकर्षित करने में सफल होंगे। हमे पूरा विश्वास है कि सभी अवरोधों को पार करके हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे।

वित्तीय वर्ष 2006-07 के बजट में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हो रही हैं जिनका मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा :-

- वर्ष 2006-07 के अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटे को समाप्त कर प्रदेश राजस्व बचत करेगा।
- वर्ष 2006-07 के बजट में आयोजनागत पक्ष में रु0 22106 करोड़ का प्राविधान किया गया है। यह वर्ष 2005-06 की तुलना में 49 प्रतिशत अधिक है। इतना बड़ा प्राविधान ऐतिहासिक है और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे प्रदेश में विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति मिलेगी।
- वर्ष 2006-07 के बजट में रु0 6507 करोड़ की नई योजनायें ली गई हैं। ऐसा भी प्रदेश में पहली बार हुआ है।
- व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में पूंजीगत कार्यों हेतु परिव्यय में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। वर्ष 2005-06 में 7898 करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय के सापेक्ष वर्ष 2006-07 में 13437 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमानित है। यह वर्ष 2005-06 के सापेक्ष 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पूंजीगत परिव्यय कुल व्यय का 16 प्रतिशत है। यह भी ऐतिहासिक है।

वर्ष 2005-06 में राज्य का कुल व्यय रुपये 69295 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2006-07 में रुपये 82850 करोड़ अनुमानित किया गया है। यह वृद्धि लगभग 20 प्रतिशत है।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रदेश के आयोजनागत व्यय में केन्द्र सरकार का अंश पिछले सालों से कम होता जा रहा है। हमने स्वयं अपने संसाधन जुटा कर आयोजनागत व्यय के लिये धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

मुझे बताते हुये अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि कर राजस्व की प्राप्तियों में प्रदेश ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। दिनांक 31 जनवरी, 2006 तक रु0 14777 करोड़ का राजस्व प्राप्त कर लिया गया है जो कि गत वर्ष की इसी अवधि के संग्रह से रु0 2656 करोड़ अधिक है तथा 21.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक हमारी प्राप्तियां रु0 19787 करोड़ होंगी जो कि पिछले वर्ष की प्राप्तियों से रु0 3736 करोड़ अधिक होगी। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2004-05 में हमने 2003-04 की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 16051 करोड़ की धनराशि का संग्रह किया था। इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि दो वर्ष के अन्दर हमने अपने संसाधनों में कितनी वृद्धि कर ली है।

हमारी उपलब्धियों से वित्तीय बाजार में भी हमारी साख बढ़ गई। फलस्वरूप जहां पहले वित्तीय संस्थायें प्रदेश में निवेश करने से कतराती थीं अब वही संस्थायें उत्साहित होकर प्रदेश में विनिवेश कर रही हैं। माह सितम्बर, 2005 में जब राज्य सरकार द्वारा राज्य विकास ऋण पत्रों की बिक्री आरम्भ की गई तब बाजार खुलने के मात्र दो घन्टों में ही 1500 करोड़ के समस्त ऋण पत्रों की बिक्री हो गई।

आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ हमने आयोजनागत व्यय बढ़ाने पर भी बल दिया है। इस उद्देश्य से अधिकांश वित्तीय स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में निर्गत कर दी गई थीं। व्यय की लगातार समीक्षा भी की जा रही है। परिणामस्वरूप 31 जनवरी, 2006 तक आयेजनागत पक्ष में रु0 8848 करोड़ का व्यय हो चुका है जो गत वर्ष इसी अवधि के व्यय से लगभग रु0 3700 करोड़ अधिक है।

- केन्द्रीय योजना आयोग ने भी हमारी उपलब्धियों को स्वीकार किया और हमारी मांग अनुसार प्रदेश की वार्षिक योजना में 40 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि करते हुये 19000 करोड़ का प्लान यह मानते हुये अनुमोदित किया कि हम इस वृहद योजना को वित्त पोषित करने की क्षमता रखते हैं।

वर्ष 2006-07 में प्रारम्भ किये जाने वाले मुख्य कार्यक्रम

इससे पहले कि मैं विभागवार बजट प्राविधानों की चर्चा करूं, वर्ष 2006-07 के बजट के माध्यम से वित्त पोषित की जाने वाली कुछ मुख्य योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करना चाहूंगा।

कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनायें

- प्रदेश में इस समय 12 लाख वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। यह संख्या बढ़ाकर 20 लाख कर दी जायेगी। इस पर आने वाले रु0 360 करोड़ के व्यय की बजट में व्यवस्था कर दी गई है। अब पात्रता क्षेत्र में आने वाले सभी वृद्ध पेंशन पाने लगेंगे।

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर प्रदेश सरकार द्वारा रु0 10 हजार की सहायता दी जाती है। अब इसे बड़कार रु0 20 हजार कर दिया गया है और इसके लिये रु0 78 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है।

• वर्ष 2006-07 से 2 लाख अतिरिक्त निराश्रित विधवाओं को भरण पोषण के लिये अनुदान दिया जायेगा जिस पर आने वाले रु0 36 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का प्राविधान कर लिया गया है। इस प्रकार से पात्रता क्षेत्र में आने वाली समस्त निराश्रित विधवायें अनुदान पाने लगेंगी।

• अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिये एक नई 'बालिकाश्री' योजना प्रारम्भ की जा रही है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक बालिका का रु0 200 का जीवन बीमा कराया जायेगा तथा रु0 800 के राष्ट्रीय बचत पत्र दिये जायेंगे। इस पर कुल रु0 10 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

• 5 लाख अतिरिक्त विकलांगों को विकलांग पेंशन से आच्छादित किया जायेगा, जिस पर आने वाले व्यय रु0 90 करोड़ की व्यवस्था करली गई है। अब पात्रता क्षेत्र में आने वाले सभी विकलांग भी पेंशन से आच्छादित हो जायेंगे।

• खादी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 'जनश्री बीमा योजना' आरम्भ की जायेगी।

नई शिक्षण संस्थायें

• 3 नये मेडिकल कालेज आजमगढ़, कन्नौज तथा जालौन में खोले जाने प्रस्तावित हैं। इनके लिये रु0 410 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

• प्रदेश में एक नया पैरा मेडिकल कालेज खोला जायेगा जिसके लिये रु0 184 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

• चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एक वानिकी महाविद्यालय एवं एक औद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

• इन्फारमेशन टेक्नोलार्जी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2006-07 में चार नये इन्फारमेशन टेक्नोलाजी पार्लीटेक्निक खोले जाने प्रस्तावित हैं जिसके लिये रु0 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

• 2 नये इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिये रु0 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

• प्रदेश में 75 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जायेंगे।

• 37 विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये व्यवसाय खोले जायेंगे।

• लखनऊ में विधि शिक्षा के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान निर्माणाधीन है। वर्ष 2006-07 में इस कार्य को पूरा करने के लिये रु0 65 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

• इटावा में दुग्ध अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

• इटावा में मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

शिक्षा को प्रोत्साहन

- अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं के समान सामान्य वर्ग के कक्षा-6 से कक्षा-8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें वितरित की जायेंगी। इसके लिये रु0 21 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
- कम्प्यूटर शिक्षा को प्राथमिक स्तर से ही बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक जनपद के 10 विद्यालयों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जायेंगे जो सौर ऊर्जा से चलेंगे। बजट में इसके लिये रु0 12 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- कन्या विद्याधन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में डेढ़ लाख कन्याओं को लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना की अभूतपूर्व सफलता को देखते हुये वर्ष 2006-07 में इसका लक्ष्य दुगुना कर दिया गया है तथा बजट में रु0 600 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार

- सड़क व सेतु के निर्माण एवं रख-रखाव पर रु0 5075 करोड़ व्यय किये जायेंगे जो इस वर्ष 2991 करोड़ रुपये के बजट प्राविधान के सापेक्ष 70 प्रतिशत अधिक है। अनुरक्षण की धनराशि लगभग दुगुनी कर दी गई है।
- प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली मेट्रो को नोयडा तक लाने की रु0 736 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। इसके अन्तर्गत नोयडा सेक्टर-32 के सिटी सेन्टर तक रेलवे लाइन विस्तारित कर दी जायेगी।
- बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल के विकास के लिये रु0 522 करोड़ का विशेष प्राविधान किया गया है। इसमें रु0 50 करोड़ की लागत से बुन्देलखण्ड के लिये पेयजल योजना सम्मिलित है।
- विभिन्न सिंचाई की योजनाओं के लिये बजट प्राविधान रु0 2551 करोड़ से बढ़ाकर 3320 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो कि 30 प्रतिशत अधिक है।
- बिजली की कमी की समस्या से जूझने के लिये विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 2006-07 में ऊर्जा के लिये रु0 4196 करोड़ की व्यवस्था की गई है जोकि 2005-06 के रु0 1988 करोड़ के प्राविधान के दुगुने से भी अधिक है।
- चीनी मिलों द्वारा सह-विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये एक नई योजना रु0 5 करोड़ की लागत से चलाई जायेगी।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक तालाब/जलाशय बनाने के उद्देश्य से रु0 682 करोड़ की एक नई योजना चालू की जायेगी जो दो वर्षों तक चलेगी।

किसानों के लिये

- भूमि सेना योजना को प्रदेश में अद्भुत सफलता मिली है। अतः इसके लिये बजट व्यवस्था रु0 40 करोड़ से बढ़ाकर रु0 100 करोड़ कर दी गई है।
- केन्द्र सरकार द्वारा बीजों की अधिसूचित प्रजातियों पर काफी समय से 200 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जाता रहा है। इस बीच बीजों के दाम काफी बढ़ गये हैं किन्तु हमारे बार-बार अनुरोध करने पर भी केन्द्र सरकार ने अनुदान की धनराशि में वृद्धि नहीं की। अब प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अपने संसाधनों से हम 120 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करायेंगे। इसके लिये रु0 24 करोड़ की बजट में व्यवस्था कर ली गई है।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसानों को दुर्घटना बीमा का लाभ बिना किसी कठिनाई के मिले, इस योजना के अन्तर्गत प्रीमियम पर आने वाले व्यय के लिये बजट बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है।
- किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुये सरकार द्वारा पिछले पेराई सत्र 2004-05 में गन्ना मूल्य में की गई वृद्धि के फलस्वरूप प्रदेश के किसानों को लगभग रुपये 600 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त आमदनी हुई। पेराई सत्र 2005-06 के लिये भी सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में की गई वृद्धि से गन्ना किसानों को इस वर्ष लगभग रुपये 400 करोड़ का अतिरिक्त लाभ होगा।
- सघन क्षेत्रों में व्यवसायिक औद्यानिकी विकास की नयी योजना वर्ष 2006-07 से प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये 37 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- फलदार बागों को संरक्षण प्रदान करने के लिये रु0 7.67 करोड़ लागत की एक नयी योजना आरम्भ की जायेगी।
- नये पशु चिकित्सालयों की स्थापना के लिये रु0 26 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

अल्पसंख्यक कल्याण

- 13 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों के असेवित क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल प्राथमिकता पर खोले जायेंगे। जूनियर हाई स्कूलों में कम्प्यूटर भी उपलब्ध कराये जायेंगे।
- अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं व प्रादेशिक सिविल सेवाओं के लिये अल्पसंख्यक छात्रों की कोचिंग हेतु एक कोचिंग संस्थान स्थापित किया जायेगा।
- सामान्य विद्यालयों की भांति प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान सूची पर लिये गये मदरसों की फौकानिया स्तर तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें भी उपलब्ध करायी जायेंगी।

- माध्यमिक शिक्षा की भांति अरबी फारसी बोर्ड से आलिया की परीक्षा, जो इण्टर के समकक्ष है, पास करने वाली छात्राओं को भी कन्या विद्याधन योजना का लाभ दिया जायेगा।
- सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों की सहभागिता सुनिश्चत करने तथा अल्पसंख्यकों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय सुझाने के लिये एक आयोग गठित किया जायेगा जो अपनी रिपोर्ट विलम्बतम् तीन माह में देगा।
- अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों के वेतनमान उच्चीकृत किये जा रहे हैं जिससे लगभग 4500 शिक्षक लाभान्वित होंगे तथा जिस पर अतिरिक्त व्यय लगभग रुपये 7 करोड़ आयेगा।
- अरबी फारसी मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10+2 स्तर के 50 अरबी फारसी मदरसों को अनुदान दिये जाने की योजना प्रस्तावित की जा रही है जिसके लिये बजट में रु0 52 लाख की व्यवस्था की गई है।
- प्रदेश में स्थापित अल्पसंख्यक कल्याण निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सस्ती दरों पर अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश सरकार इस निगम को रु0 20 करोड़ की गारण्टी देने जा रही है जिसके आधार पर यह संस्था केन्द्रीय संस्थाओं से धनराशि प्राप्त कर सकेगी और अपने संसाधन बढ़ा पायेगी।
- प्रदेश में अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लाकों व अन्य क्षेत्रों में 25 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जायेंगे जिससे कि इस समुदाय के लोगों को रोजगारपरक शिक्षा मिल सके।
- वक्फ विकास निगम के अंशकों का क्रय करने के लिये रु0 50 लाख की व्यवस्था बजट में की गई है।

कर्मचारियों के लिये

- प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों का विशेष ध्यान रखा है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान उन्हें भारी व्यय आने के बावजूद भी 1 अप्रैल, 2004 से मूल वेतन में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता संविलियन करने का लाभ दे दिया है। 1 जुलाई, 2005 से महंगाई भत्ते की 4 प्रतिशत की एक अतिरिकत किश्त दिये जाने का सरकार ने निर्णय लिया है। 1 अप्रैल, 2006 से इसका नगद भुगतान किया जायेगा। इस पर लगभग रु0 600 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्यय अनुमानित है।
- न्यायिक सेवा के अधिकारियों को शैट्टी आयोग की संस्तुतियों के अनुसार भत्ते स्वीकृत किये गये हैं जिस पर लगभग रु0 20 करोड़ वार्षिक व्यय आने की संभावना है।

अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम

- प्रदेश सरकार द्वारा यूपिका, रामपुर चीनी मिल, कर्मचारी कल्याण निगम, कतिपय सहकारी समितियां व सहकारी बैंकों एवं अन्य संस्थाओं को पुनर्वासित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिये बजट में रु0 237 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

- शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में ग्राम चौकीदारों की भूमिका अहम होती है। उनको मिलने वाले मानदेय को वर्तमान 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर रु0 500 प्रतिमाह कर दिया जायेगा जिससे कि वह पुलिस के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर काम कर सकें।
- होमगार्ड्स को प्रतिदिन पारिश्रमिक के रूप में 80 रुपये दिये जा रहे थे जिसे बढ़ाकर 85 रुपये. करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। बजट व्यवस्था में रु0 13 करोड़ की वृद्धि की गई है।
- नगर निकायों में तह बाजारी व्यवस्था में अनेक कुरीतियां उत्पन्न हो गई हैं जिसका असमाजिक तत्वों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है। इस व्यवस्था को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू की जायेगी जिसके अन्तर्गत हाकिंग क्षेत्र का सीमांकन कर वेण्डर मार्केट के रूप में स्थान निर्दिष्ट किया जायेगा तथा नो वेण्डिंग जोन का भी निर्धारण किया जायेगा। इस योजना का विस्तृत विवरण शीघ्र घोषित किया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को नगरीय सुविधाओं के विकास हेतु रिवाल्विंग फण्ड के माध्यम से ब्याज रहित ऋण दिया जाता है। निकायों की आर्थिक स्थिति को देखते हुये उनके द्वारा इस ऋण की वापसी के संबंध में काफी कठिनाइयां इंगित की गई हैं। उनकी इन कठिनाइयों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस ऋण की वापसी में 3 साल के मारीटोरियम की सुविधा देते हुये 10 वार्षिक समान किस्तों में इसकी वापसी की जायं। इससे स्थानीय निकायों को काफी राहत मिलेगी।
- नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा इन निकायों को अपने स्रोतों से और धनराशि जिलाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के. दशम तथा दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के साथ साथ सामान्य जाति के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के बच्चों को ही छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति रु0 25 प्रतिमाह से रु0 740 प्रतिमाह की दर से विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के बच्चों को इस सुविधा से वंचित होना पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत रु0 138 करोड़ से वृद्धि कर रु0 250 करोड़ की व्यवस्था की गई है जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों का आच्छादन बढ़ जायेगा।
- विभिन्न विभागों यथा व्यापार कर, विद्युत देय तथा अन्य कर एवं शुल्कों की काफी अधिक धनराशि बकाये के रूप में पड़ी है जिसकी वसूली नहीं हो पा रही है। ऐसी धनराशि की वसूली करने के लिये बकायेदारों से विचार-विमर्श कर वसूली की जायेगी। ऐसे समझौते में ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज/अर्थ दण्ड की छूट दी जायेगी। इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दृष्टि से माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक "सेटेलमेन्ट

एडवाइजरी कमेटी" का गठन किया जायेगा तथा इस समिति की संस्तुति के आधार पर ही राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिये 65 प्रतिशत वृद्धि की गई है। वर्ष 2006-07 में 4029 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि वर्ष 2005-06 के बजट में यह व्यवस्था रु0 2442 करोड़ थी।
- सैफई में निर्माणाधीन रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस, मेडिकल कालेज तथा डेन्टल कालेज का कार्य पूरा करने के लिये रु0 225 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रु0 105 करोड़ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- किंग जार्ज दन्त चिकित्सा विश्वविद्यालय को रु0 53 करोड़ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- कई जनपदों में नये संयुक्त चिकित्सालय स्थापित किये जायेंगे तथा विद्यमान चिकित्सालयों को सुदृढ़ किया जायेगा। इनमें कौशाम्बी, बागपत, देवरिया, रामपुर व आजमगढ़ सम्मिलित है।
- औषधि मद में रु0 184 करोड़ की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष के सापेक्ष रु0 33 करोड़ से अधिक है।
- अधिवक्ताओं को चैम्बर उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 2004-05 से बजट के माध्यम से व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2005-06 में इसका विस्तार करते हुये जिला स्तर पर चैम्बर निर्माण के लिये व्यवस्था की थी। अब हम इस सुविधा को पूरे प्रदेश में तहसील स्तर तक बढ़ायेंगे।
- हमारी सरकार ने ऐसे बेरोजगार नवयुवक जो स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं तथा 31 दिसम्बर, 2005 तक प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत हैं, को 1 अप्रैल, 2006 से 500 रुपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया है।

(माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट भाषण के पृष्ठ संख्या-22 में उल्लिखित बेरोजगारी भत्ता देने के निर्णय को पढ़े जाने के उपरान्त सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट से स्वागत किया गया।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इनके लोग मुख्य मंत्री जी का भाषण नहीं सुन रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें आप संख्या नहीं बता रहे हैं कि 01 अप्रैल, 2006 तक कितने लोग सेंवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं ?

श्री अध्यक्ष-

जब चर्चा करेंगे उस समय इसे पूछ लीजियेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

ताली आपको भी बजानी चाहिये थी क्योंकि लड़के आप सभी लोगों के परिवारों के भी हैं।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, यह नहीं बताया गया कि 31 दिसम्बर, 2005 तक कितने लोग पंजीकृत हैं।

श्री अध्यक्ष-

धर्मपाल सिंह जी, आप बैठ जायं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

इसमें भी आप लोगों को आपत्ति है। हमने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देकर एक आदर्श पेश किया है।

मान्यवर,

अब मैं कुछ मुख्य विभागों के बजट प्रस्तावों का उल्लेख करना चाहूंगा।

पुलिस प्रशासन

प्रदेश में शान्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये पुलिस बल को आधुनिकीकृत करना अति आवश्यक है। अतः पुलिस को आधुनिक अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराने के लिये, वाहनों से लैस करने के लिये, बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बजट में रु0 247 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

नक्सल प्रभावित जनपदों में पुलिस बल को सुदृढ़ किया जा रहा है। जनपद सोनभद्र में एक इण्डिया रिजर्व वाहिनी का गठन किया जा रहा है। एक नई पी0ए0सी0 वाहिनी का गठन जनपद मऊ में किया जा रहा है। वाराणसी में नक्सलवादी गतिविधियों की रोकथाम हेतु एक नये प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

बड़े अपराधियों एवं माफियाओं को पकड़ने में स्पेशल टास्क फोर्स ने महत्वपूर्ण सफलतायें प्राप्त की हैं। अतः सरकार द्वारा इस फोर्स को सुदृढ़ किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है तथा इस फोर्स के कर्मियों को प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत किया गया है।

पुलिस बल के मनोबल में वृद्धि के उद्देश्य से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं और उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जा रही है।

ग्राम्य विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब एवं आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की प्राथमिकता है। इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 में दो लाख आवास निर्मित करने का अनुमान है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की समस्या का निराकरण एवं पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखने के उद्देश्य से वर्ष 2006-2007 से रुपये 682 करोड़ की आदर्श जलाशय योजना आरम्भ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत दो वर्षों में राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब/जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार किया जायेगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 75 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है तथा शेष धनराशि डवटेलिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना लागू करने का निर्णय ले लिया गया है। प्रथम चरण में यह योजना कुछ चुनिन्दा जनपदों में लागू की जायेगी। इसके अन्तर्गत ऐसे परिवारों को जिनके किसी भी सदस्य को वर्ष में 100 दिन का भी रोजगार सुलभ नहीं हो पाता, उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। इस योजना हेतु बजट में 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005-06 में 555 करोड़ रुपये का व्यय कर 3010 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करते हुये 1687 बस्तियों को सर्वऋतु मार्ग से जोड़ा जा रहा है। वर्ष 2006-07 में लगभग 5062 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर 3462 बस्तियों को सर्वऋतु सड़क से जोड़ने की योजना है।

पंचायती राज

समस्त जनपदों में चल रहे सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु प्रति शौचालय मात्र रुपये 600 की अनुमन्य सहायता राशि को विशेष प्रोत्साहन के रूप में बढ़ाकर रुपये 1500 कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अनुदान से 11.75 लाख व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया गया है।

वर्ष 2006-07 में पंचायतीराज संस्थाओं को अन्तरण हेतु रुपये 1012 करोड़ की व्यवस्था की गयी है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 337 करोड़ रुपये अधिक है।

पशुपालन

प्रदेश की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में पशुपालन की मुख्य भूमिका है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, प्रदेश में वर्ष 2006-07 में नये पशु चिकित्सालयों की स्थापना हेतु रु0 26 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

नये पशु सेवा केन्द्रों तथा "द" श्रेणी पशु औषधालयों की स्थापना हेतु एक करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

स्वरोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न पशुधन कार्यक्रमों द्वारा लगभग बीस हजार बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगारी बनाने का लक्ष्य है।

पशुपालकों के द्वार पर प्राथमिक चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 200 पैरावेट्स को प्रशिक्षित किये जाने एवं आवश्यक सामग्री के क्रय के लिये दो करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

मत्स्य

मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हुये मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ मछुआ आवासों के निर्माण की योजनान्तर्गत वर्ष 2006-2007 में 3102 आवासों के निर्माण हेतु लाभार्थियों को रुपये 25000 प्रति आवास के अनुसार धन उपलब्ध कराया जायेगा।

आगामी 5 वर्षों में सुनियोजित रूप से मत्स्य विकास हेतु "मत्स्य विकास नीति" विकसित की जा रही है जिसमें 4.32 लाख हेक्टेयर संचित जल सम्पदा के अधिकाधिक दोहन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर 4 लाख टन मत्स्य उत्पादन से मत्स्य पालकों हेतु एक लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित करते हुये प्रदेश को मत्स्य तथा मत्स्य बीज उत्पादन में स्वावलम्बी ही नहीं अपितु निर्यातोन्मुख भी बनाने का लक्ष्य है।

सड़क एवं यातायात

मैं पहले ही सम्मानित सदन को बता चुका हूं कि सड़कों और सेतुओं के निर्माण और रख-रखाव के लिये वर्ष 2005-2006 में कुल 2991 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था के सापेक्ष वर्ष 2006-2007 के बजट में 5075 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। यह लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 में 25,000 किलोमीटर लम्बाई के मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के साथ-साथ 6300 किलोमीटर की लम्बाई के मार्गों के नवीनीकरण का कार्य एवं 6000 किलोमीटर की लम्बाई के मार्गों की विशेष मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2006-07 में मार्गों के रख-रखाव के कार्य पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2006-07 में 1435 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2005-06 की लगभग 786 करोड़ की धनराशि का लगभग दुगुना है।

विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जा रही रुपये 3000 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 में रुपये 444 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे 600 किलोमीटर की लम्बाई में राज्य मार्ग/प्रमुख जिला मार्ग के उच्चीकरण/वृहद् रख-रखाव का कार्य कराया जाएगा।

अविकसित गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु ग्रामीण मार्ग निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वित्तीय वर्ष 2005-06 में 1245 करोड़ की व्यवस्था के सापेक्ष 2006-07 में ग्रामीण मार्ग निर्माण कार्य हेतु 1432 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

नक्सल प्रभावित जनपद चन्दौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, मऊ और बलिया में मार्ग निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्राविधानित 22 करोड़ के सापेक्ष 2006-07 में इस मद हेतु रुपये 44 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है।

वित्तीय वर्ष 2006-07 में नये सेतुओं के निर्माण के लिये 172 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है। आगामी वर्ष में 151 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी सरकार के कार्यकाल में अभी तक 240 सेतुओं का निर्माण कार्य पूरा कराया जा चुका है।

परिवहन

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 2006-07 में राज्य सरकार द्वारा अंश पूंजी विनियोजन किये जाने हेतु 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में वर्ष 2006-07 में 1000 नई बसें क्रय किया जाना प्रस्तावित है जिसमें 800 बड़ी एवं 200 मिनी बसें शामिल हैं।

प्रदूषण नियंत्रण हेतु सी0एन0जी0 बसों का उपयोग एवं प्रतिष्ठित विशेष सेवाओं में टेलीविजन लगाया जायेगा। यात्री सुविधा केन्द्र का विकास एवं राष्ट्रीय स्तर के परिवहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं में समय से चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से दुर्घटना बाहुल्य वाले राजमार्गों पर ट्रामा केन्द्रों की स्थापना किये जाने की योजना है जिसके लिये प्रथम चरण में वर्ष 2006-07 के लिये 24 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई

सिंचाई विभाग के बजट में की गई वृद्धि का मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि प्रदेश में सिंचाई प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के उद्देश्य से नयी योजनाओं के साथ नहरों के पुनर्स्थापन की कई नयी योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं जिनके लिए कुल 277 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में बाढ़ से सुरक्षा हेतु निर्मित तटबन्धों की सुरक्षा तथा नदी की धारा में परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए 82 नदी कटाव निरोधक योजनाओं के लिए कुल 100 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है।

नये सीमान्त बांधों के निर्माण तथा वर्तमान तटबन्धों को ऊंचा करने एवं उनके सुदृढ़ीकरण हेतु 86 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु जल निकासी कार्यों तथा नदी के कछारों में बसी आबादियों की बाढ़ से सुरक्षा हेतु बाढ़रोधी कार्यों के लिए कुल 46 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

लघु सिंचाई

वर्ष 2006-07 में निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लाख छियासी हजार निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य प्रस्तावित है। निजी लघु सिंचाई कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2006-07 में चालू योजनाओं के अन्तर्गत 1980 गहरे नलकूप, 133 इनवेल बोरिंग, 56 ब्लास्ट वेल, 833 सतही पम्पसेट, 15 आर्टीजन कूप, 63 रिचार्जिंग/चेक डैम तथा 1589 मध्यम गहराई के नलकूपों के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।

ऊर्जा

ऊर्जा विभाग के बजट में की गई अभूतपूर्व वृद्धि का मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। यह सर्वविदित है कि पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में कोई विद्युत उत्पादन इकाई नहीं लगायी गयी जिसके

फलस्वरूप प्रदेश में बिजली की मांग तथा उपलब्धता में अन्तर लगातार बढ़ता गया। प्रदेश में बिजली की उपलब्धता एवं भावी मांग के अन्तर को पूरा करने तथा गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पिछले वर्ष हमारी सरकार ने उदार ऊर्जा नीति को क्रियान्वित करने का संकल्प लिया था। हमारे संकल्प के अनुरूप उदार ऊर्जा नीति को देखते हुए निजी निवेशकों द्वारा प्रदेश में अगले 6 वर्षों में 7000 मेगावाट की परियोजनायें लगाये जाने पर सहमति दे दी है, जिनमें 28000 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा।

विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु पारीक्षा विस्तार परियोजना के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2006 तक 210 मेगावाट की प्रथम नवीन इकाई उत्पादन प्रारम्भ कर देगी और इसी परियोजना की दूसरी इकाई माह नवम्बर, 2006 तक उत्पादन प्रारम्भ कर देगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विष्णु प्रयाग परियोजना से माह मार्च, 2006 में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा एवं अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 350 मेगावाट विद्युत उपलब्ध होगी।

इसी प्रकार टिहरी परियोजना से उत्तर प्रदेश को माह मई-जून, 2006 से विद्युत की उपलब्धता प्रारम्भ हो जायेगी। इस प्रकार अगले वर्ष में विद्युत की उपलब्धता में विशेष वृद्धि होगी।

प्रदेश में बिजली की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए नयी विद्युत इकाइयों की स्थापना एवं विस्तार की 5 योजनायें वर्ष 2006-07 में प्रारम्भ की जा रही हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 8000 करोड़ रुपये अनुमानित है जिसमें राज्य सरकार के अंशदान के रूप में वर्ष 2006-07 हेतु 233 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

प्रदेश के अवशेष 30852 गांवों के विद्युतीकरण की योजना के अन्तर्गत 6000 गांवों को मार्च, 2006 तक तथा अवशेष 24852 गांवों को मार्च, 2007 तक विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य है।

नगर विकास

कानपुर नगर की पेयजल व्यवस्था के स्थायी समाधान हेतु कानपुर में गंगा बैराज का निर्माण कार्य जून, 2006 में पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2006-07 में इस हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु "जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रीन्यूअल मिशन योजना" लागू की जा रही है जिसके लिये वर्ष 2006-07 में 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है। इलाहाबाद शहर के लिये रु0 10 करोड़ की विशेष व्यवस्था की गई है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2006-07 में वहां अर्ध कुम्भ मेला आयोजित किया जायेगा।

10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु "अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाऊन्स योजना" हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में 110 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

नगरीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 में 83 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में बहने वाली मुख्य नदियों-गंगा, यमुना व गोमती को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता दी गई है। इस कार्यक्रम हेतु वर्तमान वर्ष की बजट व्यवस्था रु0 21 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2006-07 में रु0 88 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

आवास एवं शहरी नियोजन

प्रदेश की राजधानी सहित अन्य विकासशील महानगरों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाओंयुक्त उपनगरों (हाई-टेक टाउनशिप) के विकास की नीति घोषित की गई है। इस नीति के अन्तर्गत लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद एवं मथुरा में कुल 9 टाउनशिप के विकास के फलस्वरूप प्रदेश में 'रियल एस्टेट सेक्टर' में आगामी 5 से 7 वर्षों में लगभग 10000 करोड़ रुपये का निजी पूंजी निवेश आकर्षित होगा, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान होगा।

प्रदेश के लघु एवं मध्यम आकार के नगरीय क्षेत्रों में भी निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के विकास हेतु एक नई नीति घोषित की गई है, जिसके तहत 25 एकड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल में एकीकृत आवासीय योजनाओं का सुनियोजित विकास सम्भव हो सकेगा। इस नीति का क्रियान्वयन वर्तमान वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ हो जायेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स

हमारी सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2004 घोषित की जा चुकी है। प्रौद्योगिकी नीति में प्रदेश के स्कूलों तथा कालेजों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रदेश में हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सुविधायें दी जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी की कई बड़ी कम्पनियों ने प्रदेश में इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया है।

नेशनल ई-गवर्नेन्स योजनान्तर्गत स्टेट डाटा सेन्टर स्थापित किये जाने हेतु बजट में रुपये 3 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभागीय सूचनाओं के डिजिटाइजेशन के लिये बजट में रुपये एक करोड़ की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में जिला/तहसील तथा विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु रुपये 50 लाख की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश के गांवों में सिटीजन सर्विस सेन्टर (सी0एस0सी0) की स्थापना का लक्ष्य है जिसके द्वारा जनसामान्य को कियास्क के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवायें उपलब्ध होने के साथ-साथ प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के साधन भी प्राप्त हो सकेंगे।

पर्यटन

विविधापूर्ण पर्यटक स्थलों एवं समय-समय पर सम्पन्न होने वाले मेले, महोत्सवों के कारण उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। प्रदेश में आगरा, मथुरा व काशी जैसे कई आकर्षक स्थल हैं। इनके विकास के लिये वर्ष 2006-07 में लगभग रुपये 80 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

निजी उद्यमियों को प्रदेश में पूंजी निवेश हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक होटल नीति प्रस्तावित की जा रही है जिससे प्रदेश की आर्थिक उन्नति के साथ-साथ रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।

औद्योगिक विकास

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, ऊर्जा नीति, हाई टेक टाउनशिप विकास नीति, चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति एवं नई आसवनी इकाइयों की स्थापना व क्षमता विस्तार नीति की संरचना की गई है। फलस्वरूप पिछले 2 वर्षों में रु0 48000 करोड़ के 1205 निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है। इन परियोजनाओं से लगभग 3 लाख व्यक्तियों को रोजगार सुलभ होगा।

औद्योगिक, व्यवसायिक, घरेलू तथा परिवहन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न नगरों में नगरीय गैस वितरण प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में औद्योगिक अवस्थापना उच्चीकरण योजना के अन्तर्गत 14 औद्योगिक क्षेत्रों में मार्ग, बिजली तथा जल निकासी सुविधाओं के उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

लघु उद्योग

औद्योगीकरण को बढ़ावा दिये जाने हेतु राज्य सरकार निरन्तर उद्यमियों की समस्याओं समाधान करने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार की औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 के अन्तर्गत औद्योगीकरण में निजी सहभागिता, सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन, नये उद्योग एवं नये निवेश आमंत्रित किये जाने हेतु विशेष सहूलियतें निर्धारित की गई हैं।

लघु उद्योगों की स्थापना एवं प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 में भी दो लाख नये रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 में 5500 कुटीर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कराई जायेगी। इनके माध्यम से लगभग 38 हजार बेरोजगार व्यक्तियों हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

जिस प्रकार से किसानों को बिजली के बिल में राहत दी जाती है उसी तरह बुनकरों को भी राहत दी जायेगी।

बेसिक शिक्षा

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्कूलों के निर्माण एवं शिक्षकों की नियुक्ति में हमारी उपलब्धियों को भारत सरकार एवं विश्व बैंक दोनों ने ही सराहा है। सरकार के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप पिछले दो सालों में 50 लाख अतिरिक्त बच्चों ने प्राइमरी स्कूलों में प्रवेश लिया है। कक्षा-1 से 8 में ड्रापआउट रेट 3 साल में 40 प्रतिशत से घटकर 24 प्रतिशत पर आ गया है। इस योजना के

अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में 4700 नये स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य है जिसमें 2400 प्राथमिक विद्यालय व 2300 उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे। इससे प्रदेश की ग्रामीण आबादी स्कूल की सुविधा से सेवित हो जायेगी। सर्वशिक्षा अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2006-07 के लिए राज्य सरकार के अंशदान के रूप में 920 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 में रुपये 350 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

माध्यमिक शिक्षा

कन्या विद्या धन योजना की सफलता एवं उत्साह को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत बालिकाओं के आच्छादन की संख्या को दुगुनी करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2006-07 में तीन लाख कन्याओं को लाभान्वित करने के लिये 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।

वर्ष 2006-07 में माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु 14 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

उच्च शिक्षा

राजकीय महाविद्यालयों में पठन-पाठन के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने हेतु शिक्षकों के 57 तथा शिक्षणेत्तर कर्मियों के 171 पद सृजित किये गये हैं। राज्य विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालयों एवं अशासकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिये रु0 25 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

खेल एवं युवा कल्याण

खेलकूद कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2006-07 के बजट में 45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें खेल अवस्थापनाओं के सृजन हेतु आठ करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

युवकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में व्यायामशालाओं की स्थापना की जायेगी इसके लिये बजट में रुपये 3 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य

राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं उनकी गुणवत्ता में सुधार को प्राथमिकता दी गई है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं हेतु वर्ष 2006-07 में कुल 4029 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है जो वर्ष 2005-06 में की गई बजट व्यवस्था 2442 करोड़ रुपये से लगभग 65 प्रतिशत अधिक है।

बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में आपातकालीन सेवायें व अन्य आधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु रु0 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल, लखनऊ के उच्चीकरण व आधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

गोमती नगर में निर्माणाधीन डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइसेन्स के निर्माण कार्यों के लिये रु0 25 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

जनपद कौशाम्बी, बागपत, कुशीनगर, सोनभद्र तथा महोबा में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 26 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था वर्ष 2006-07 में प्रस्तावित है।

जिला एवं संयुक्त चिकित्सालयों में सुधार, विस्तार, नवीनीकरण एवं विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 51 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

जनपद देवरिया में जिला चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए इस चिकित्सालय का उच्चीकरण कर ओ0टी0 काम्प्लेक्स, डायगनोस्टिक ब्लाक तथा प्लास्टिक एवं बर्न यूनिट की स्थापना हेतु बजट में रुपये 4 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

पूर्वांचल में जापानी इन्सेफिलाइटिस से जनसामान्य को सुरक्षित रखने हेतु एक वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चलाया जा रहा है। चिकित्सा उपचार के लिए दवाओं एवं उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस वर्ष इस रोग से मरने वालों व्यक्तियों के परिवारों के लिए रुपये 25,000 प्रति व्यक्ति एवं विकलांगों के लिए रुपये 50,000 प्रति व्यक्ति की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रदेश की ग्रामीण जनता को दूर दराज इलाकों में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती पर विशेष बल दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए संविदा के आधार पर चिकित्सक तैनात किये गये हैं। चिकित्सकों के 1890 रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही भी की जा रही है।

चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से प्रदेश में वर्ष 2006-07 में तीन नये मेडिकल कालेज आजमगढ़, कन्नौज तथा जालौन में खोले जायेंगे। बजट में इसके लिये 410 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। एक नया पैरा मेडिकल कालेज स्थापित किया जायेगा जिसके लिये 184 करोड़ की व्यवस्था की गई है। सैफई में निर्माणाधीन रूरल इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस, मेडिकल कालेज तथा डेण्टल कालेज के लिये 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

राजकीय एलोपैथी मेडिकल कालेजों में स्टेम सेल अनुसंधान की व्यवस्था हेतु 3 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

साथ ही मेडिकल कालेज, गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर शोध संस्थान की स्थापना हेतु 7 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

वर्ष 2006-07 में 75 नये राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी।

समाज कल्याण

सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान के उद्देश्य से वृद्धावस्था पेंशन में शत-प्रतिशत आच्छादन किया जायेगा। इस हेतु

8 लाख अतिरिक्त वृद्धों को पेंशन दी जायेगी। इस प्रकार के पेंशनार्थियों की संख्या 12 लाख से बढ़कर 20 लाख हो जायेगी। पेंशन हेतु बजट में 360 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

कक्षा 1 से 12 तक अनुसूचित जाति/जनजाति तथा सामान्य वर्ग के निर्धन अभिभावकों के बच्चों को छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में अनुसूचित जाति छात्र/छात्राओं के लिए 662 करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं के लिए 17 करोड़ रुपये एवं सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभावित परिवार को दी जाने वाली राशि रुपये 10,000 में वृद्धि करते हुए ऐसे परिवारों के कमाऊ सदस्यों की मृत्यु पर 20,000 रुपये आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु कुल 78 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने हेतु न्यूनतम साक्षरता वाले स्थानों में नये राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालयों के खोले जाने की व्यवस्था की गई है।

वन

उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद हमारे प्रदेश का वनावरण एवं वृक्षारोपण भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 9 प्रतिशत ही रह गया है। प्रदेश में वृक्षाच्छादन बढ़ाने के लिये अवनत वन भूमि, सामुदायिक क्षेत्र, रेल, सड़क व नहर के किनारे की खाली पड़ी भूमि शहरी क्षेत्रों के पार्कों में राजकीय तथा अन्य रोपण योग्य भूमि तथा कृषकों की निजी अनुपजाऊ भूमि पर अधिकाधिक वृक्षारोपण करने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2005-06 की बजट व्यवस्था रु0 215 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2006-07 में 347 करोड़ रुपये कर दी गई है।

वैट लैण्ड क्षेत्रों के संरक्षण, सीमांकन, हेविटाट प्रबन्धन, जैव विविधता संरक्षण आदि कार्य करने हेतु राष्ट्रीय वैट लैण्ड संरक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा जिसके लिये बजट में रु0 3 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

2006-2007 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2006-07 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

प्राप्तियां

वर्ष 2006-07 में 80540.47 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं।

-कुल प्राप्तियों में 56144.40 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां तथा 24396.07 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

-वर्ष 2006-07 में राजस्व प्राप्तियों में कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश 48113.72 करोड़ रुपये है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 21051.90 करोड़ रुपये सम्मिलित है।

व्यय

-वर्ष 2006-07 में कुल व्यय 82849.96 करोड़ रुपये अनुमानित है।

-कुल व्यय में 55021.23 करोड़ रूपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 27828.73 करोड़ रूपये पूंजी लेखे का व्यय है।

-वर्ष 2006-07 के बजट में 22106.46 करोड़ रूपये आयोजनागत व्यय अनुमानित है।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2006-07 में घाटा 2309.49 करोड़ रूपये है।

लोक-लेखा से समायोजना

वर्ष 2006-2007 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए 2448.70 करोड़ रुपये लोक-लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2006-07 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 139.21 करोड़ रुपये अनुमानित है।

अन्तिम शेष

वर्ष 2006-07 में प्रारम्भिक ऋणात्मक शेष 503.17 करोड़ रुपये को हिसाब में लेते हुए अन्तिम ऋणात्मक शेष 363.96 करोड़ रुपये होना अनुमानित है।

इस ऋणात्मक शेष को व्यय में कमी लाकर तथा आय के स्रोतों में वृद्धि कर कम किये जाने का प्रयास किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इस मूल बजट भाषण में एक चीज शामिल नहीं है वह मैं आपकी अनुमति से इसमें शामिल करना चाहता हूं ताकि वह इस मूल बजट भाषण का अंग बन जाये। "व्यापार कर विभाग द्वारा प्रदेश के बाहर से आयात के लिए निर्धारित घोषणा पत्र (प्रपत्र-31) के स्वरूप में परिवर्तन कर लागू की गई मौद्रिक सीमा अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है एवं तब तक पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी।"

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह मंत्रि परिषद् द्वारा अनुमोदित नहीं है और जो बजट भाषण आप पढ़कर सुनाते हैं उसकी प्रति भी बांटी जाती है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि बजट के अलावा भी माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा कर सकते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, बजट भाषण चल रहा है, वह पूरा नहीं हुआ है। उसकी प्रतिलिपि हमारे पास है। उसके अलावा कोई घोषणा करना चाहते हैं तो सामान्य शिष्टाचार यह होना चाहिए कि उसकी कापी हमारे पास आ जाए। लेकिन सारी मान्यताओं को समाप्त करके एक नया रूप विधान सभा के सामने

पेश किया जा रहा है। मेरा आग्रह है कि जो नई जानकारी देना चाहते हैं वह तब तक न दें जब तक कि बजट भाषण पूरा न हो जाए। जब बजट भाषण चल रहा है उसकी मुद्रित प्रति हमारे पास है जब तक वह भाषण पूरा न हो जाए, उसके अलावा अगर घोषणा करनी है तो अनुमति लेकर घोषणा करें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अनुमति तो ले ली गयी है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को अनुमति दे दी है। बजट भाषण में वह प्रति न होने की बात है उसकी प्रति इस समय नहीं है। लेकिन वह घोषणा कर सकते हैं।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप इसे कल उठायें, पूरा उत्तर दिया जायेगा। इस समय बैठ जायें।

श्री हुकुम सिंह-

आप कहेंगे तो हमें बैठना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अगर कहीं कोई विसंगति है तो इसे अलग-अलग नियमों में उठाया जा सकता है। तमाम नियम हैं उसमें आप उठा सकते हैं। यह बजट का अंश है, घोषणा कर रहे हैं तो वह घोषणा कर सकते हैं।

* नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, यह परम्परा के खिलाफ है, नियमों के खिलाफ है। मुख्य मंत्री जी को अधिकार हमेशा से है कि वह कोई संशोधन के लिए विधेयक अलग से ला सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं लेकिन बाद में। जो बजट भाषण हमें दिया गया है इसमें एक अक्षर भी आप इधर-उधर नहीं कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ऐसा नहीं है वह घोषणा कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी आपत्ति सुन ली है, आप मुख्य मंत्री जी को बोलने दें। मैं इस पर रूलिंग बाद में दे दूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस घोषणा का तो स्वागत होना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष-

मुख्य मंत्री जी, अपना बजट भाषण पढ़ें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मंत्रि-परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं प्रमुख सचिव, वित्त श्री शेखर अग्रवाल और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं।

किसी भी देश या समाज का चौतरफा विकास किये बिना समग्र उन्नति का दावा नहीं किया जा सकता। प्रतिवर्ष उन्नति की बढ़ती गति के साथ-साथ व्यक्ति और क्षेत्रों की आपसी बढ़ती विषमता की खाई को समानान्तर ढंग से पाटने का प्रयास नहीं हुआ तो देश और प्रदेश की कंगाली, अमीरी के पहाड़ को भी निगल जायेगी। हमने अपने तीनों बजट अनुमानों में प्रदेश की उन्नति में अलग थलग पड़े क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया है। क्षेत्रीय विषमता को मिटाकर समग्र प्रदेश का त्वरित विकास और विकसित प्रदेश में गरीब व्यक्ति की उचित भागीदारी हमारे बजटीय प्राविधानों की रणनीति है। हालांकि देश में विगत 10 वर्षों में काफी प्रगति हुई किन्तु उसी गति से कुछ खास क्षेत्रों और व्यक्तियों की गरीबी में भी वृद्धि हुई। प्रत्येक व्यक्ति की खुशहाली ही राष्ट्र की खुशहाली का श्रेष्ठ पैमाना है। करोड़ों को सुविधाओं से वंचित कर आर्थिक प्रगति का डंका पीटना एक ढोंग है। हमारी सरकार का संकल्प है, गरीब की गरीबी मिटाना। यह पिछड़े इलाकों तक सड़क, पेय जल, बिजली, चिकित्सा और शिक्षा, रोजगार के साधन सुलभ कराकर ही सम्भव है। मेरा विश्वास है कि हम अपने प्रयासों से गरीबी, बेकारी के महाराक्षस का संहार कर इस प्रदेश को पिछड़ेपन की अंधेरी गली से निकालकर विकास के राज मार्ग पर खड़ा कर सकेंगे। पिछड़ेपन के निरन्तर उलाहने से अभिशप्त इस देश का सबसे बड़ा राज्य जो शिव, राम, कृष्ण और गौतमबुद्ध की ललित्यपूर्ण कथाओं का साक्षी है, जिस प्रदेश का भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय योगदान है, जिस प्रदेश ने महान स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, जहां आचार्य नरेन्द्र देव, जय प्रकाश नारायण, डा0 राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जैसे कर्मशील विचारकों का जन्म हुआ, जिस प्रदेश को प्रधान मंत्रियों की लम्बी कतार मिली, भारतीय लोकतन्त्र को जिस राज्य ने सबसे लम्बा नेतृत्व दिया वह प्रदेश आर्थिक रूप से जर्जर, निरक्षर एवं बीमार राज्य की पहचान बनावे, यह हम सभी को शर्मिन्दा करने वाली बात है। हमारा संकल्प इस कलंक को धोने का है। हमारे तीन वर्षों के अथक प्रयास से बहुत हद का यह धुला भी है। आइये असत्य प्रचार, मिथ्या आरोप के छिछले दायरे से ऊपर उठकर उत्तम प्रदेश बनाने की हमारी अभियान यज्ञ में अपनी भी आहूति देकर इस पुनीत कार्य को पूरा करें।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक, वित्तीय वर्ष 2006-2007 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना सदन को देनी है....

(विपक्ष के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

व्यापारियों के हितार्थ बजट में लिये गये संशोधन का विरोध

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, यह चुनावी बजट मुख्य मंत्री जी ने यहां पेश किया है।

श्री अध्यक्ष-

यह सदन को सूचना, उत्तर प्रदेश विधान सभा...

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आप कहेंगे, पहले हम जरा सदन को सूचना दे दें, आप नेता प्रतिपक्ष हैं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, हमने इन्हें धैर्यपूर्वक सुना अब इन्हें भी हमारी बात सुननी चाहिए। गरीबों के लिए यहां बड़ी घोषणायें की गई हैं और निर्धन लोगों के लिए, निराश्रित लोगों के लिए जो अनाज भारत सरकार से आता है, उसका इतना बड़ा घोटाला हो गया, उसका कहीं जिक्र नहीं है, इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए आगे कहीं कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आप जब बजट पर भाषण देंगे तब कहेंगे ही, आपको पूरा अधिकार है। आज कहने का क्या मतलब है ? आप वाक-आऊट करना चाहते हैं क्या ? माननीय नेता विरोधी दल, बजट भाषण पर आपको पर्याप्त समय मिलेगा तो उस समय कह लीजियेगा, आप ही इसकी शुरुआत करेंगे तो आप एक-एक बिन्दु पर सारी बात कहना। हां अगर कोई दूसरी बात है तो आप बोलिये, तो बजट भाषण में नहीं है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जो सुविधायें पहले से मिल रही थीं, उनके बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है, वह तो गायब कर दी गई हैं और यह जो नई-नई घोषणायें हो रही हैं, इसके लिए न तो संसाधन हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आप उस समय बोलेंगे ही, इसे आप इस समय क्यों कह रहे हैं ? आखिर आप चाहते क्या हैं ?

(व्यवधान)

माननीय बाजपेयी जी, माननीय नेता विरोधी दल सदन के सम्मानित नेता हैं, सदन के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको पूरा अवसर है, बजट पर अपनी बात कहने का। इस बीच में जब आपको अवसर आयेगा तब आप उन्हें कहिये, अब जब मैं सदन को सूचना दे रहा हूं तब आप अपनी बात कह रहे हैं। कहिये आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री लालजी टण्डन-

अगर आप कहने नहीं देंगे तो मैं जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

बजट भाषण में आपको बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन अगर आप जाना ही चाहते हैं तो ठीक है जाइये।

माननीय बाजपेयी जी बजट भाषण में आपको अपनी बात कहने का पूरा अवसर है फिर उस बात को यहां पर कहने का क्या औचित्य है ? आप बाहर कहिये, बाहर जाकर जो बोलना हो बोलिये।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 15 फरवरी, 2006 को हुई बैठक में विधान सभा के दिनांक 15 फरवरी से 17 फरवरी, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से...

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मुझे यह कहने का अधिकार प्राप्त है इस सदन में माननीय नेता सदन बैठे हैं, जैसा बजट आज पेश हुआ है शायद ही उत्तर प्रदेश में ऐसा ऐतिहासिक तौर पर कभी हुआ हो। मान्यवर, आज एक नया इतिहास दर्ज हुआ है, आज एक नई तारीख लिखी गई है, उन लोगों के लिए जो बहुत कमजोर थे, उपेक्षित थे। बहुत से राजनीतिक दलों ने घोषणायें की थीं पढ़े-लिखे बेरोजगारों के लिए, आज उस पर अमल हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जब बजट भाषण माननीय मुख्य मंत्री जी ने पढ़ दिया तो आप इसके बारे में जब अपना भाषण बोलियेगा तो कहियेगा। हां नेता विरोधी दल ने जो कहा है अगर उस पर कुछ कहना है तो कहिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरी बात सुन तो लीजिए, नेता विरोधी दल ने जो कहा है मैं उसी से सम्बन्धित बात कह रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, क्या चर्चा शुरू हो गयी है ? अगर चर्चा शुरू हो गई हो तो इन्हें कहने दें।

श्री अध्यक्ष-

जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है तो ऐज-ए-संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से यह कुछ कहना चाहते हैं। यह बजट पर नहीं बोल रहे हैं, आप लोग इन्हें सुन तो लीजिए। हां, संसदीय कार्य मंत्री जी, आप अपनी बात कहें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि यह परम्परा के विपरीत नहीं था, माननीय नेता सदन ने व्यापारियों के सम्बन्ध में जो घोषणा की थी वह परम्पराओं के विपरीत नहीं था। माननीय नेता सदन को किसी भी समय किसी भी बात की घोषणा करने का अधिकार है। कष्ट इस बात का है क्योंकि यह व्यापारियों के हित में था, इसलिए नेता विरोधी दल द्वारा यह बहिर्गमन किया गया है। इससे हमें कष्ट है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अब मैं कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना दे रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 15 फरवरी, 2006 को हुई बैठक में विधान सभा के दिनांक 15 फरवरी से 17 फरवरी, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैं :-

1-दिनांक 15 फरवरी, 2006 को प्रश्नकाल न हो तथा प्रश्न उत्तरित माने जायं।

2-दिनांक 17 फरवरी, 2006 को असरकारी दिवस के स्थान पर विधायी कार्य लिया जाय।

3-दिनांक 15 फरवरी, 2006 से 17 फरवरी, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

फरवरी, 2006

---

15 बुधवार **11.30 बजे पूर्वाह्न**

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण।

16 गुरुवार निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006-(आधा घण्टा)।

(ख) उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006-(आधा घण्टा)।

17 शुक्रवार 1-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 2006-(आधा घण्टा)।

(ख) उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006-(आधा घण्टा)।

2-डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :-

"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगायी जाय।" (एक घण्टा)।

3-"उत्तर प्रदेश के नगर निगमों द्वारा जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बनाए जाने के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (एक घण्टा)।

सदन के शेष उपवेशनों में लिये जाने वाले कार्यों के बारे में सूचना यथासमय दी जाएगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(इसी मध्य भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन में वापस आ गये)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15 फरवरी, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना डा0 विनोद तिवारी की पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हेतु अपेक्षित धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा की बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत देवा-फतेहपुर, सूरतगंज-बांदा बहराइच मार्ग का चौड़ीकरण कराने एवं कल्याणी नदी पर क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है तीसरी सूचना श्री रणवीर राणा की जनपद कुशीनगर में कार्यरत भूमि संरक्षण अधिकारी (पडरौना) द्वारा किये जा रहे सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है चौथी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की, रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जलालपुर घई से दाऊदपुर गडई होते हुए भगवन्तपुर चन्दनिया तक के अधूरे सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की मिर्जापुर के मझवां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में खराब पड़े सिंचाई नलकूपों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री दद्दू प्रसाद की, जनपद हमीरपुर में कार्यरत उर्दू अध्यापकों को शासनादेश के अनुरूप प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना डा0 सुशील चौधरी की जनपद लखनऊ में अनेकों पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति होने के पश्चात अभी तक सरकारी आवास खाली न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत भगई नदी में फ़िनिहिनी मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, नौवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत सिम्भावली

शुगर मिल के प्रदूषित पानी को गंगा नदी में डालने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की अम्बेडकर नगर के ग्राम हुसैनपुर सुधाना (खट्टे गांव) में पानी की निकासी हेतु महरीपुर-टांडा रजबहा में साइफन लगाये जाने के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर जनपद के लिये जिला योजना से वर्ष 2004-05 में सोलर लाइटों को लगाने हेतु स्वीकृत धनराशि पर्यटन निदेशालय द्वारा सीधे नेडा को भेजने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना श्री राम करण आर्य की बस्ती जनपद के ग्राम सिगई पण्डित को शहीद गांव घोषित करते हुए समस्त सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में है एवं तेरहवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी नगर के अस्सी क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली पर भव्य स्मारक बनाये जाने एवं पर्यटन स्थल विकसित करने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं :-

डा0 पूर्णमासी देहाती
श्री ओम प्रकाश पाण्डेय
श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव
डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर
डा0 अजय कुमार तथा
डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।)

पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हेतु अपेक्षित धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 विनोद तिवारी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण जानकारी चाहता हूं। मैं सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के सन्दर्भ में आकृष्ट कराना चाहता हूं। महोदय जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में मुंसिफ कोर्ट का प्रस्ताव स्वीकृति किया जा चुका है। इस हेतु भूमि भी राजस्व विभाग द्वारा न्याय विभाग को स्थानान्तरित कर दी गयी जो राजस्व अभिलेखों में अंकित है परन्तु भवन निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपये स्वीकृत न होने के कारण निर्माण कार्य लम्बित है। पूरनपुर जनपद पीलीभीत की सबसे बड़ी तहसील व पूरनपुर एशिया का सबसे बड़ा ब्लाक है। यहां की जनता को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। पूरनपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हेतु अपेक्षित धन 2 करोड़ रुपये स्वीकृत न होने के कारण जन सामान्य में आक्रोश है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अत्यन्त ज्वलन्त एवं महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत देवा-फतेहपुर सूरतगंज-बांदा बहराइच मार्ग का चौड़ीकरण कराने एवं कल्याणी नदी पर क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

[तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी औद्योगिक रूप से कृषि के व्यवसाय तथा पूर्वांचल से दिल्ली रेलवे लाइन के जुड़ने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लखनऊ-माती-देवा-फतेहपुर तथा लखनऊ-बाराबंकी-देवा-फतेहपुर दो प्रमुख मार्ग हैं। फतेहपुर के पास कल्याणी नदी पर पुल कमजोर होने के कारण लोक निर्माण विभाग ने भारी वाहन जाने पर रोक लगा रखा है। अब यदि फतेहपुर कोई भारी वाहन जाना हो तो बाराबंकी-जंहगीराबाद-सीहाली से फतेहपुर अथवा बाराबंकी-देवा-कुर्सी-रामनगर-फतेहपुर अथवा बाराबंकी-देवा-कुर्सी-महू महमूदाबाद होकर ही फतेहपुर जा पायेगा। इस प्रकार मार्ग एवं पुल के क्षतिग्रस्त होने से 50 किमी0 का चक्कर लगाने के बाद भी वाहन अपने स्थान नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रकार लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ-बाराबंकी-देवां तथा लखनऊ-माती-देवां दोनों सड़कें चौड़ी हो चुकी हैं, अब देवा-फतेहपुर-सूरतगंज-बांदा बहराइच मार्ग का चौड़ीकरण अति आवश्यक है तथा कल्याणी नदी पर बड़े पुल का निर्माण भी इसी मार्ग पर बनना आवश्यक है।

इस मार्ग का प्रस्ताव राज्य सड़क निधि में कराकर जनहित में चौड़ीकरण/मरम्मत का कार्य अतिशीघ्र कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय जनहित के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अतिशीघ्र मार्ग एवं क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद कुशीनगर में कार्यरत भूमि संरक्षण अधिकारी (पडरौना) द्वारा किये जा रहे सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना।

*श्री रणवीर राणा-

[मैं सदन के माध्यम से जनपद कुशीनगर में कार्यरत भूमि संरक्षण अधिकारी (पडरौना) के द्वारा किये जा रहे सरकारी धन के दुरुपयोग एवं बंदरबांट के सम्बन्ध में आकृष्ट कराना चाहता हूं। उक्त अधिकारी द्वारा वर्ष 2005-06 में सिंगापट्टी ड्रेन से बेहाया झाड़ी कांटने व मिट्टी की खुदाई दिखाकर लगभग 6 लाख रुपये का फर्जी भुगतान दुर्भिसन्धि द्वारा करना तथा विभागीय कर्मचारियों की तनख्वाह से अदायगी धन उगाही करना, जनता के विकास कार्यों को प्रभावित करना आदि दिनचर्या है। उपरोक्त अधिकारी की सेवा निवृत्ति का समय जुलाई, 2006 है।

उक्त के सम्बन्ध में कई बार विभागीय शिकायतें की गयी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिससे क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः आपसे इस प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूं कि विभागीय अधिकारी के स्थानान्तरण करने के पश्चात जांच कराने के आदेश देने का कष्ट करें।]

रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जलालपुर धई से दाऊदपुर मड़ई होते हुए भगवन्तपुर चन्दनिया तक के अधूरे सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र-96 डलमऊ जनपद रायबरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड-दीनशाह गौरा के अन्तर्गत ग्राम-जलालपुर धई से दाउदपुर मड़ई होते हुए भगवन्तपुर चन्दनियां तक लम्बाई लगभग पांच किलोमीटर सड़क पर विगत लगभग बीस वर्षों से बोल्डर पड़े हुए हैं और अभी तक सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। जिससे किसानों एवं व्यापारियों तथा क्षेत्रीय जनता को आने-जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा आये दिन उनके साथ सड़क दुर्घटनायें हो रही हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश एवं जनक्रोश व्याप्त है तथा स्थिति किसी भी समय विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोकहित के विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

मिर्जापुर के मझवां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में खराब पड़े सिंचाई नलकूपों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 रमेश चन्द्र बिन्द-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र मझवां जनपद मिर्जापुर के वि0ख0-मझवां के अन्तर्गत ग्राम सभा सेमरी प्रथम ग्राम सभा कटका, ग्राम सभा करसड़ा द्वितीय समेत दर्जनों सिंचाई नलकूप खराब होने के कारण लाखों हेक्टेयर रबी की फसल सूखने के कगार पर पहुंच चुकी है जिससे गरीब किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक. महत्व के विषय पर मैं सदन के माध्यम से मा0 सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वि0 खण्ड मझवां के खराब पड़े सिंचाई नलकूपों की मरम्मत कराने की मांग करता हूं।]

जनपद हमीरपुर में कार्यरत उर्दू अध्यापकों को शासनादेश के अनुरूप प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ददूू प्रसाद-

[उ0 प्र0 में बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 1994-95 में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की गयी थी यह नियुक्तियां अप्रशिक्षित अध्यापकों के रूप में की गई थीं। मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति किये गये अध्यापक भी अप्रशिक्षित होते हैं। सिर्फ मृतक आश्रित के रूप में तैनात अप्रशिक्षित अध्यापकों को पांच वर्ष का सेवाकाल पूरा होने पर प्रशिक्षित अध्यापक के रूप में नियुक्ति दे दी जाती थी अन्य को नहीं। इस आसामन्य व्यवस्था पर शासन में विचार किया गया समान कार्य, समान अवसर तथा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समान प्रोन्नति के प्राकृतिक सिद्धान्त को मानते हुए शासनादेश संख्या-1732/15-5-2002-488/38/ दिनांक 24-4-2002 जारी करके सभी प्रकार के अप्रशिक्षित अध्यापकों को 5 वर्ष की नियमित सेवा होने पर प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान करने के आदेश दिये गये थे।

जनपद हमीरपुर में इस शासनादेश का अनुपालन विलम्ब से किया गया। 18 माह पश्चात अक्टूबर, 2003 में सभी उर्दू अध्यापकों को पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि वर्ष 2000 से प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने लगा तद्नुसार ज्येष्ठता भी निर्धारित की गई तथा वेतन आदि का भुगतान किया गया।

एक वर्ष पश्चात जनपद हमीरपुर से सभी उर्दू अध्यापकों को पुनः दो वर्ष की ज्येष्ठता घटा दी गई प्रशिक्षित वेतनमान भी उक्त शासनादेश दिनांक 24-4-02 की तिथि से दिया जा रहा है। जबकि इन उर्दू अध्यापकों की 5 वर्ष की नियमित सेवा अवधि वर्ष 2000 में पूरी हो चुकी है।

वेतन वृद्धि घटाने तथा दो वर्ष की ज्येष्ठता घटाने से जिला हमीरपुर तथा प्रदेश के अन्य जनपदों के उर्दू अध्यापकों में असन्तोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ में अनेक पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त होने के पश्चात अभी तक सरकारी आवास खाली न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 सुशील चौधरी-

[मैं सदन के माध्यम से एक लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। याचिका संख्या 987/2003 श्री के0 एस0 रायजादा बनाम नगर आयुक्त नगर निगम अलीगढ़ के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दाखिल की गयी थी। जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय उक्त याचिका में दिया गया था कि सरकारी कर्मचारी का स्थानान्तरण या सेवानिवृत्ति होने के बाद सरकारी आवास एक माह में खाली करना होगा। लेकिन जनपद-लखनऊ में अनेक पुलिसकर्मियों का स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति के बाद अभी तक सरकारी आवास खाली नहीं कराये गये, जिससे पुलिसकर्मियों को आवास आवंटन नहीं हो रहे हैं। बहुत से पुलिसकर्मी जबरन आवासों पर कई-कई वर्षों से कब्जा जमाए हुए हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले में सरकार को कार्यवाही करने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत मगई नदी में फिनिहिनी मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्रीमती विद्या चौधरी-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम सभा मगई नदी पर फिनिहिनी मार्ग पर पुल न होने के कारण जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले ऐसी बाढ़ आई थी कि सारे गांव डूब गये थे एक महीने तक उस गांव में नाव चलाने की व्यवस्था जिलाधिकारी आजमगढ़ ने दिया था। पुल निर्माण कार्य कराना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मगई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने की मांग करती हूं।]

गाजियाबाद के गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत सिम्भावली शुगर मिल के प्रदूषित पानी को गंगा नदी में डालने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, मेरे क्षेत्र में शुगर मिल के प्रदूषित पानी के प्रभाव से सटे ग्राम पसवाड़ा, बक्सर, सेहल बहादुबाढ़ के नागरिकों के नलों में पीने के पानी से तेजी से पीलिया होने से नागरिक मर रहे हैं। कोई राहत या प्रदूषित पानी रोकने का इन्तजाम नहीं है। तथा सिम्भावली शुगर मिल का प्रदूषित पानी बराबर गंगा में डाला जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि उच्च स्तरीय सरकारी समिति भेजकर जांच कराकर नागरिकों की जीवन रक्षा तथा गंगा को प्रदूषित होने से बचाने के निर्देश देने की कृपा करें। प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण व अविलम्बनीय व जीवन-मरण से जुड़ा है। कार्यवाही कराने की कृपा करें।]

अम्बेडकर नगर के ग्राम हुसैनपुर सुधाना (खट्टेगांव) में पानी के निकासी हेतु महरीपुर टाण्डा रजबहा में साइफन लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री लालजी वर्मा-

[ग्राम हुसैनपुर सुधाना (खट्टेगांव) परगना व तहसील-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकर नगर दो तरफ से रेलवे लाइन एवं एक तरफ से महरीपुर रजबहा एवं एक तरफ से सड़क से घिरा होने के कारण बरसात में जलमग्न हो जाता है पूरे ग्राम में घरों में पानी भर जाता है जिसके कारण आम जनता को अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पानी के भराव हो जाने से बीमारियां भी फैल जाती है। जिसके कारण आम जनता में आक्रोश एवं रोष व्याप्त है।

अस्तु, इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पानी के निकासी हेतु महरीपुर-टाण्डा रजबहा में साइफन लगाये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शाहजहांपुर जनपद के लिये जिला योजना से वर्ष 2004-05 में सोलर लाइटों को लगाने हेतु स्वीकृत धनराशि पर्यटन निदेशालय द्वारा सीधे नेडा को भेजने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[शाहजहांपुर जनपद के लिये जिला योजना से वर्ष 2004-05 में सोलर लाइटों को लगाने हेतु प्रस्ताव शासन में आया था जो तिलक पार्क व विसरात घाट के लिये पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया, परन्तु इसका धन पर्यटन विभाग से नेडा को सीधे न भेजकर समाज कल्याण निर्माण निगम को भेज दिया गया। अब समाज कल्याण निर्माण निगम इसको लगायेगा और नेडा से सप्लाई करवायेगा, इस प्रकार नेडा 1000 रुपया प्रति सोलर लाइट सुपरवीजन चार्जेज लेगा तथा समाज कल्याण निर्माण निगम 12.5% सेन्टेज चार्जेज लेगा, इस प्रकार दोहरा सेन्टेज चार्जेज पड़ेगा। यदि यह धन पर्यटन निदेशालय से नेडा को भेज दिया जावे तो दोहरे सेन्टेज/सुपरवीजन चार्ज से बचा जा सकता है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बस्ती जनपद के ग्राम सिसई पण्डित को शहीद गांव घोषित करते हुए समस्त सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम करन आर्य-

[बस्ती जनपद में मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुदरहा ब्लाक के थाना लालगंज अन्तर्गत ग्राम सिसई पंडित का विजय प्रताप यादव नामक नौजवान जो 23 मई, 2005 को छत्तीसगढ़ में आतंकवादियों के आपरेशन के दौरान शहीद हो गया। सी0आर0पी0एफ0 138 बटालियन का 25 वर्षीय नौजवान इनकी विधवा पत्नी उषा यादव जिसकी उम्र मात्र 22 वर्ष है एवं दो वर्ष की बच्ची परिवार में रह गई है जीविका का कोई अन्य साधन नहीं है ये गांव अति पिछड़ा है जहां पर न तो कोई विद्यालय है और न ही सड़क से जुड़ा हुआ है। उक्त नौजवान के विधवा को प्रदेश सरकार द्वारा भी मुआवजा/आर्थिक सहायता दिया जाना आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाकर उक्त को शहीद गांव घोषित करते हुये सारी सुविधायें दिलाने एवं विद्यालय सड़क आदि दिलाने तथा प्रदेश सरकार द्वारा विधवा को सरकारी नौकरी एवं 5 लाख की आर्थिक सहायता देने की मांग करता हूं।]

वाराणसी नगर के अस्सी क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली पर भव्य स्मारक बनवाये जाने एवं पर्यटन स्थल विकसित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी-

[स्वतंत्रता संग्राम की अप्रतिन योद्धा अमर सेनानी महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली वाराणसी में अस्सी क्षेत्र है। वहां पर एक खण्डहर में प्रति वर्ष उनके जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होते आ रहे हैं और विभिन्न संस्थाओं तथा जनता की मांग उक्त स्थल पर एक भव्य स्मारक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनाने की रही है। मेरे द्वारा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में उक्त प्रयोजन की पूर्ति हेतु विधान सभा में एक संकल्प प्रस्तुत किया गया था जिसके उत्तर में निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा आश्वासन भी दिया गया था। ज्ञातव्य हो कि उक्त प्रयोजन हेतु कई वर्ष पूर्व तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को 90 लाख रुपया की धनराशि अवमुक्त की गयी थी जो राज्य सरकार के कोष में सुरक्षित है। उक्त स्मारक को दर्शनीय और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु और स्थान जो अगल-बगल में हैं, को अधिग्रहीत किया जाना है जिसके लिए राज्य सरकार बचनबद्ध है लेकिन स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कार्य में सुस्ती बरते जाने से कोई भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं दिखाई पड़ रही है जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है। उक्त अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजना को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु शासन स्तर पर अविलम्ब प्रभावी निर्देश जारी करना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15 फरवरी, 2006 को नियम-311 की दो सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

नियम-56 की जो सूचनायें हैं वह कल ली जायेंगी। जो 311 में भी दी गयी थी वह कल ली जायेंगी। इसलिए उसको आज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

सन्त ज्ञानेश्वर वाली सूचना कल ली जायेगी और शेष जो माननीय सदस्य देना चाहेंगे वह आयेंगी। आपकी बात सन्त ज्ञानेश्वर वाली हमने मान ली है वह सूचना आयेगी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15 फरवरी, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत 28 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत गढ़मुक्तेश्वर रोड पर स्थित जय भीम नगर नामक मलिन बस्ती में उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, दूसरी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध डिग्री कालेजों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों/कर्मचारियों को पेंशन भुगतान रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा वर्ष 2005-2006 में आयोजित बी0एड0 प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, चौथी सूचना श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा की जनपद बाराबंकी स्थित बुढ़वल शुगर मिल, रामनगर के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, पांचवी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला स्थित मोदी एक्सपोर्ट कारखाने में पड़ी भीषण डकैती के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, छठी सूचना श्री घूरा राम की जनपद बलिया के ग्राम मानपुर, चितबड़ागांव स्थित

कु0 शीतल पुत्री श्री शिव नरायन का अपहरण किये जाने एवं अभी तक उसका पता न चलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, सातवीं सूचना श्री सोमारू राम सरोज की लखनऊ के बड़ा चांदगंज मोहल्ले में मकान नं0 521/59 के पास नजूल एवं रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई, आठवीं सूचना श्री रणवीर राणा की प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध समर्थन मूल्य की नीति घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई, नवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ स्थित रकाबगंज चौराहे एवं नक्खास के बीच ऐतिहासिक मकबरे वाला पार्क का अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई, दसवीं सूचना श्री द्वारका प्रसाद की संत कबीर नगर स्थित जिला जज कार्यालय एवं उनके आवास के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई :-

1-डा0 विनोद तिवारी
2-श्री राम करन आर्य
3-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह
4-डा0 अजय कुमार
5-चौ0 महेन्द्र सिंह
6-श्री नवाब सिंह नागर
7-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
8-श्री सुखदेव राजभर
9-श्री रंगनाथ मिश्र
10-डा0 रमेश चन्द बिन्द
11-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर
12-श्री रामनरेश यादव
13-श्री प्रमोद कुमार
14-श्रीमती विद्या चौधरी
15-श्री मदन चौहान
16-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल
17-श्री पूर्णमासी देहाती तथा
18-श्री अब्बास अली जैदी उर्फ 'रुश्दी मियां'

गोरखपुर नगर से सम्बन्धित लम्बित कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा.....

समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[दिनांक 2-2-2006 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी नोटिस में ऊर्जा विभाग से संबधित बिन्दु निम्नवत् हैं:--

बिन्दु संख्या-4

गोरखपुर में ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक महत्व को देखते हुए अबाधित विद्युत की आपूर्ति।

बिन्दु संख्या-5

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का प्रदेश के प्रमुखतम् औद्योगिक क्षेत्र और विशेष आर्थिक जोन के रूप में विकास तथा बड़े उद्योगों की गोरखपुर में स्थापना हेतु केन्द्रीय/राज्य करों, भूमि तथा विद्युत मूल्यों में विशेष छूट।

ऊर्जा विभाग से संबंधित उक्त बिन्दुओं के संबंध में निम्नवत् अवगत कराना है :-

बिन्दु संख्या-4

गोरखपुर (मण्डल स्तरीय नगर) को प्रतिदिन 18 घंटे विद्युत आपूर्ति दिया जाना निर्धारित है परन्तु प्रदेश में विद्युत की मांग उपलब्धता से अधिक होने के कारण समय-समय पर आपातकालीन कटौती करनी पड़ती है। माह जनवरी, 2006 में 15 घंटे 48 मिनट की औसत विद्युत आपूर्ति मण्डल स्तरीय नगरों में की गयी।

बिन्दु संख्या-5

विद्युत मूल्यों का निर्धारण उ0 प्र0 नियामक आयोग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में कोई विशेष छूट देने का प्रस्ताव नहीं है।

मा0 सदस्य विधान सभा ने अपनी सूचना में अन्य बिन्दुओं के अलावा बिन्दु संख्या-7 में यह उल्लेख किया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जीर्ण-शीर्ण तथा बन्द चल रही चीनी मिलों के पुनरुद्धार हेतु एक विशेष समयबद्ध सक्रिय कार्यदल का गठन तथा उसकी अनुशंसाओं का पालन किया जाय।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिलें स्थित हैं। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के विषय में शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। सहकारी क्षेत्र की कोई भी चीनी मिल बन्द नहीं है। जहां तक निगम क्षेत्र की चीनी मिलों का प्रश्न है पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलों के जीर्ण-शीर्ण एवं खराब वित्तीय स्थिति होने के कारण उनका निजीकरण विचारणीय हैं।]

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुछ पूछेंगे, उत्तर तो मिल गया है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, हमने इसमें दो चीजे पूंछी है एक तो गोरखपुर में माननीय मुख्य मंत्री ने जो घोषणा की है वह घोषणा के प्रति वह कितना संकल्पित हैं यह जबाब उस बारे में चुप है। दूसरी चीज जो मैंने 12 सूत्री मांगे रखी है जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि नगर विधायक जो कुछ भी मांगेंगे वह सब दिया जायेगा। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन 12 सूत्री मांगों में 10 सूत्रों के बारे में मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया और जिन दो सूत्रों में जवाब दिया गया है उसमें अस्वीकार किया है इसलिये यह पूरा अपूर्ण प्रश्न है अधूरा जवाब है, इस सदन का उपहास है। अध्यक्ष महोदय मैं आपसे आग्रह करता हूं कृपया सरकार को कहें कि नियम-51 के तहत जो सूचना उन्हें दी गयी है उसका सारे जवाब इकट्ठा करके सारे जवाब एक साथ दिया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें जवाब तो पूरा ही है अगर आप आखिरी में देखें जहां तक निगम क्षेत्र की चीनी मिलों का प्रश्न है पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलों के जीर्ण-शीर्ण एवं खराब वित्तीय स्थिति होने के कारण उनका निजीकरण विचारणीय है। मानयवर, यह तो खुद विचारणीय है।

श्री अध्यक्ष-

आप इसको दूसरे नियमों में चर्चा के लिए और सबके लिए रखिए, उसमें पूरा आ जायेगा।

(मद संख्या 11 पुकारे जाने और श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल साहब इसमें आपका नाम नहीं है तो पहले नियम 51 में वह पूछ ले तब कोई दूसरा पूछेगा, वह है ही नहीं।

श्री हुकुम सिंह-

नियम 51 में सूचना आई नहीं आपने कह दिया कि और नियमों में दे दीजिए और कोई नियम इसका है क्या ?

श्री अध्यक्ष-

सदन की घोषणा तो है नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बाहर कहा होगा, उसको मैं कैसे करा दूं ? बाहर क्या कहा, वह सदन में बात आई नहीं थी । आपने नियम-51 में दिया है, यह बाते मुख्य मंत्री जी ने कही थीं, वह पूरा करेगें, उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं इस सदन का बहिष्कार करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह आपका अधिकार है, बैठिए या जाइये।

(अनुपूरक उत्तरों से असंतुष्ट होकर डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल ने सदन का त्याग किया)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लखनऊ के थाना मडियांव में तीन बी0डी0सी0 सदस्यों का अपहरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद लखनऊ के थाना मडियांव.....

लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[तीन बी0डी0सी0 सदस्यों का अपहण कर लिये जाने एवं उनका अभी तक कोई पता न चल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 2-2-06 को दी गयी नोटिस के विषय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से प्राप्त आख्यानुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नवत् है :--

दिनांक 30-1-06 को थाना मडियांव के अन्तर्गत सेवा अस्पताल नर्सिंग होम में श्री दिलीप सिंह इलाज करा रहे थे उनको देखने के लिए श्री फूलचन्द्र निवासी महमूदपुर, श्री रमेश लोधी निवासी रसूलपुर एवं श्री रमेश चन्द्र यादव निवासी बन्नौर गये थे, जहां पर चाय पिलाने को लेकर घटना हुई थी। यद्यपि घटना का सम्बन्ध थाना मडियांव जनपद लखनऊ से है, किन्तु श्री रमेश पुत्र बसनू द्वारा दिनांक 31-1-06 को समय 17.00 बजे थाना बक्शी का तालाब पर लिखित सूचना दी गयी, जिसके आधार पर थाना बक्शी का तालाब पर मु0अ0सं0-13/06 धारा-143/148/342/506 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है।]

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना केवल श्री प्रमोद कुमार की है, इसमें उनको रहना चाहिये था। अब मैं अगली मद लेता हूं।

जनपद गाजियाबाद एवं बागपत के मध्य हिण्डन नदी पर पुल बनवाये जाने के संबंध में श्री नरेन्द्र शिशौदिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री नरेन्द्र शिशौदिया, माननीय सदस्य, विधान सभा.....

लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मोदीनगर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी प्रश्नगत सूचना में जनपद गाजियाबाद और बागपत के मध्य बहने वाली हिण्डन नदी पर ग्राम सुराना के निकट बने सेतु के अधूरे पहुंच मार्ग को पूर्ण कराये जाने की मांग की गयी है।

2-इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि प्रश्नगत परियोजना की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-1413ई/23-लो0नि0-11-162ई/88 दिनांक 24-03-90 द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत रु0 120.00 लाख की लागत पर प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत सेतु माह, मार्च, 2000 में तथा जनपद गाजियाबाद की ओर 4.88 कि0मी0 एवं बागपत की ओर 1.00 कि0मी0 लम्बाई में पहुंच मार्ग/अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 2000-2001 में पूर्ण कर लिया गया है। जनपद बागपत की ओर 2.325 कि0मी0 के अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य शेष है। शासनादेश संख्या-320ई/23-11-2006-57(1)आर0ई0/95 दिनांक 02 फरवरी, 2006 द्वारा जनपद गाजियाबाद में मुरादनगर-रावली-सुराना-बागपत मार्ग पर ग्राम सुराना के निकट हिण्डन नदी पर निर्माणाधीन प्रश्नगत सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रु0 581.93 लाख की लागत पर जारी कर दी गयी है। सूचना में इंगित अधूरे पहुंच मार्ग का निर्माण शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।]

जनपद संत रविदास नगर भदोही के जिला मुख्यालय पर लगे शिलान्यास के पत्थर को हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रंग नाथ मिश्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसका वक्तव्य आया नहीं है, इसलिये इसको स्थगित किया जाता है।

जनपद हरदोई की सण्डीला तहसील में वृक्षारोपण हेतु छोड़ी गयी भूमि का अपात्र लोगों को पट्टा किये जाने के संबंध में श्री फागू चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत.....

लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[दिनांक 02-02-06 को यह सूचना दी गयी थी कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला में वृक्षारोपण हेतु छोड़ी गयी भूमि का अपात्र लोगों को किये गये पट्टे को निरस्त किया जाय।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रश्नगत मामले में जिलाधिकारी हरदोई से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार ग्राम भरावन पर0 गोडवा तहसील सण्डीला जनपद हरदोई की खतौनी वर्ष 1411 से 1416 फ0 की खाता सं0-1818 पर अंकित गाटा संख्या-1679च/1.279 (जिसकी पुरानी गाटा सं0-879 है) श्रेणी-5 वर्ग 3ख-2 ग्राम सभा में निहित वन भूमि के रूप में वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित की गयी है। भूमि प्रबन्धक समिति भरावन के प्रस्ताव दि0 24-05-04 द्वारा गाटा संख्या-1679च मि/2-11-2 श्री श्यामू पुत्र गोमती व गाटा संख्या-1679च मि/2-10-0 श्री रामू पुत्र गोमती सर्व निवासी ग्राम भरावन के आधार पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी सण्डीला द्वारा दिनांक 22-06-04 को वृक्षा रोपण हेतु 30 वर्षीय आवंटन अनुमोदित/स्वीकृत किया गया है। जिसकी सनद दि0 19-07-04 को जारी की गयी। सनद की शर्तों के अनुसार आवंटी को दो वर्ष के अन्दर वृक्षारोपण कार्य पूर्ण करने एवं प्रथम वर्ष में एक-तिहाई कार्य सम्पन्न करने के निर्देश दिये गये। निरीक्षण में पाया गया कि वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि पर आवंटियों द्वारा कुछ अंश पर मसूर व सरसों की फसल बोई गयी तथा अवशेष अंश जुताई करके रिक्त छोड़ दिया गया। डेढ़ वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया। जहां तक आवंटियों की पात्रता का सम्बन्ध है दोनों आवंटी सगे भाई और बालिग हैं तथा अलग-अलग परिवार सहित अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। दोनों आवंटियों एवं उनके पिता श्री गोमती पुत्र बद्दू के नाम राजस्व अभिलेखों में कोई भूमि नहीं है। गंज भरावन में यह दोनों भाई छोटी-छोटी दो दुकाने बनवाकर जीवन-यापन कर रहे हैं।

आवंटन सनद के अनुसार वृक्षारोपण हेतु तीस वर्षीय अवधि हेतु पट्टा जारी किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार एक वर्ष में कम से कम एक तिहाई कार्य सम्पन्न करने के निर्देश दिये गये थे किन्तु आवंटियों द्वारा सनद की शर्तों का पालन न करके आवंटित भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। आवंटियों द्वारा वृक्षारोपण कार्य न करने के कारण प्रश्नगत आवंटन निरस्त करने योग्य पाया गया जिसके निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।]

तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज के एजेन्डे में मेरा तारांकित प्रश्न संख्या-3 लगा था, जिसमें हमने पूछा था कि क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली अनिवार्य छात्रवृत्ति की नीति में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या प्रदेश में अनुसूचित जाति के समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है ? इसमें माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है, जिसे आपने उत्तरित माना है। उसमें मंत्री जी ने कहा है कि कक्षा-1 से 8 तक अनिवार्य छात्रवृत्ति दी जा रही है। आज इस सदन में मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिला। यह जो उत्तर दिया गया है, वह पूर्ण नहीं है। मैं कक्षा 9, 10, 11 व 12 सभी के बारे में जानना चाहता था, इसलिये यह उत्तर पूर्ण नहीं है, इसलिये मैं चाहता हूं कि पूर्ण उत्तर आ जाय।

---

* वक्ता ने भाष । का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

नियम-49 में लिखकर दे दें।

*समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं समाज कल्याण विभाग का मंत्री हूं और यह प्रश्न इस विभाग से संबंधित है। माननीय सदस्य लाल जी वर्मा द्वारा जो बात आदरणीय सदन में रखी गयी है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ी तकलीफ भी हो रही है, इन्हें तो कई बार सदन में बैठने का अवसर मिला है, लेकिन पता नहीं, कैसे इनकी समझदारी स्पष्ट नहीं है। यह अपने मूल सवाल को पढ़ें। मूल सवाल अनिवार्य छात्रवृत्ति के बारे में है और उत्तर में बता दिया गया कि अनिवार्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से कक्षा 8 तक प्रदेश के अनुसूचित जाति के सभी बच्चों को, चाहे उनके माता पिता की आमदनी एक लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे कर्मचारी का बच्चा हो, चाहे अधिकारी का बच्चा हो, दी जा रही है। इस प्रकार कक्षा 1 से 8 तक अनुसूचित जाति के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से वजीफा देने का प्राविधान है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप मुझे समझाइये, कैसे उत्तर अपूर्ण है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं जानना चाहता था कि जो पहले छात्रवृत्ति दी जा रही थी, उसमें कोई बदलाव किया गया है तो उत्तर आया कि जी नहीं। तो जब बदलाव नहीं किया गया है तो कक्षा-9 10, 11, 12 की छात्रवृत्ति के बारे में जानना चाहता था, लेकिन आज प्रश्न का अवसर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष-

अब यह निर्णय हो गया कि उत्तर पूरा है। अगर आप कुछ और चाहते हैं तो नया प्रश्न लगाइये।

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 12 बजकर 57 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 15 फरवरी, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 37 विधान सभा (64)-8-5-2006-813-कम्प्यूटर।